

NDOH:-16/03/2023

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL**PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI****ORIGINAL APPLICATION NO. 394/2022****IN THE MATTER OF:-**

Pushpendra Kumar

...Applicant

Versus

Block Development officer, Kaduara & Ors.

...Respondents

INDEX

S. NO.	PARTICULAR	PAGE NO.
1.	ADDITIONAL AFFIDAVIT ON BEHALF OF RESPONDENT No. 21 i.e. DISTRICT MAGISTRATE OF DISTRICT JALAUN	1-24
2.	<u>ANNEXURE-R/1</u> A true copy of letter dated 01.07.2022.	25
3.	<u>ANNEXURE-R/2</u> A true copy of letter dated 03.08.2022.	26
4.	<u>ANNEXURE-R/3</u> A true copy of letter dated 10.08.2022.	27-28
5.	<u>ANNEXURE-R/4 (Colly)</u> A true copy of letters dated 10.08.2022.	29-40
6.	<u>ANNEXURE-R/5</u> A true copy of letter dated 21.09.2022.	41
7.	<u>ANNEXURE-R/6</u> A true copy of inspection visit report dated 12.10.2022.	42-44
8.	<u>ANNEXURE-R/7</u> A true copy of letter dated 13.10.2022.	45
9.	<u>ANNEXURE-R/8</u> A true copy of letter dated 16.10.2022.	46

10.	<u>ANNEXURE-R/9</u> A true copy of letter dated 09.11.2022.	47
11.	<u>ANNEXURE-R/10</u> A true copy of letter dated 11.11.2022.	48
12.	<u>ANNEXURE-R/11</u> A true copy of order dated 17.11.2022.	49
13.	<u>ANNEXURE-R/12</u> A true copy of letter dated 20.11.2022.	50
14.	<u>ANNEXURE-R/13</u> A true copy of letter dated 21.11.2022.	51
15.	<u>ANNEXURE-R/14</u> A true copy of Inspection report dated 23.11.2022.	52
16.	<u>ANNEXURE-R/15</u> A true copy of letter dated 25.11.2022.	53
17.	<u>ANNEXURE-R/16</u> A true copy of letter dated 05.12.2022.	54
18.	<u>ANNEXURE-R/17</u> A true copy of order dated 08.12.2022.	55
19.	<u>ANNEXURE-R/18</u> A true copy of letter dated 16.12.2022.	56
20.	<u>ANNEXURE-R/19</u> A true copy of letter dated 28.12.2022.	57-58
21.	<u>ANNEXURE-R/20</u> A true copy of letter dated 30.12.2022.	59-60
22.	<u>ANNEXURE-R/21</u> A true copy of letter dated 30.12.2022.	61-62
23.	<u>ANNEXURE-R/22</u> A true copy of letter.	63
24.	<u>ANNEXURE-R/23</u> A true copy of order dated 03.01.2023.	64
25.	<u>ANNEXURE-R/24 (Colly)</u> A true copy of letter dated 05.01.2023.	65-77
26.	<u>ANNEXURE-R/25</u> A true copy of letter dated 06.01.2023.	78
27.	<u>ANNEXURE-R/26</u> A true copy of letter dated 12.01.2023.	79

28.	<u>ANNEXURE-R/27</u> A true copy of letter dated 15.01.2023.	80
29.	<u>ANNEXURE-R/28</u> A true copy of information report dated 25.02.2023.	81-88
30.	<u>ANNEXURE-R/29</u> A true copy of information report dated 25.02.2023.	89-98
31.	Service Proof.	99

Filed By:-

S/akwal

Mr. Shwetank Sailakwal
 Advocate for the Respondent
 B/3, 3rd floor, Opp. Kashmiri Park,
 Jangpura Extension, New Delhi:- 110014
 Mobile:- 9990803222
 Email:- shwetanksailakwal@gmail.com

Place:- New Delhi
 Date:- 14/03/2023

478

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 394/2022

IN THE MATTER OF:

Pushpendra Kumar

...Applicant

Versus


Block Development officer, Kaduara & Ors. ... Respondents

ADDITIONAL AFFIDAVIT ON BEHALF OF RESPONDENT No. 21
i.e. DISTRICT MAGISTRATE OF DISTRICT JALAU

I, Chandni Singh D/o Amar Chand Singh Aged 33 years, currently working as District Magistrate, Place Orai District Jaluan, Uttar Pradesh, do hereby solemnly affirm and declare as under: **PRESENTLY AT DELHI**

1. That I am the Respondent No. 21 in the above-mentioned Application and being familiar with the facts and circumstances of the case, hence am competent to swear this Affidavit.
2. That I am familiar with the facts and circumstances of the present case having dealt with it in my official capacity.

That the accompanying Additional Affidavit has been prepared pursuant to my instructions. I have read and understood the contents thereof, which are true and correct based on official records and the legal submissions are based on the advice of my counsel.



(Handwritten signature)

4. That on the last date of hearing this Hon'ble Tribunal was pleased to direct us to explore the possibilities of providing better facilities in various gaushalas in the District Jalaun. That in compliance with the last hearing before this Hon'ble Tribunal dated 17.11.2022 Respondent No.21 wishes to bring on record some additional facts/compliances made by filing the present Additional Affidavit.
5. That followings are the additional details of various necessary steps taken in compliance to the standard guidelines for protection of Gauvansh and Gaushalas before the last date of hearing i.e., 17.11.2022.

A). That as per record, on 01.07.2022 a letter was sent to all the BDO's, all Executive officer's, Chief Veterinary officers and all Deputy chief Veterinary officers of the district Jalaun apprising the fact that around 41906 Cattle Breeds (Gauvansh) are protected in various Gaushalas of the district and the issue of unprotected Gauvansh and also the conditions of Gaushalas in coming rainy season were highlighted. In order to protect the Gauvansh and Gaushalas. The directions were issued in the letter to take various measures for protection from sky lighting, fodder shortages and medical issues. Which are as follows: -

- Preparation of kharanja and platform to avoid water logging in Gaushalas,
- Proper shed and tirpal in Gaushalas for rain protection.



[Handwritten signature]

- Proper cleaning of Gauvansh sitting Platform/floor and charhi area in Gaushalas.
- Proper HS vaccination of Gauvansh for protection from diseases and insecticide, spraying of Gaushalas for protection from mosquitoes and other infections
- Installation of lightning conductor to protect Gauvansh from sky lighting in Gaushalas.
- Prepare for Flood situation based on the historical data and follow the guidelines of National disaster management guidelines – management of floods and develop Animal Care Management Preparedness Plan (ACFMP) as per the guidelines of State Disaster Management Authority of Uttar Pradesh.
- Also ensure the proper fodder (bhoosa) to avoid any problem in case of flood situations. The true copy of letter dated 01.07.2022 is annexed herewith and marked as ANNEXURE – R1.

B). That a letter dated 03.08.2022 was sent to all the BDO's, executive officers, Nagarpalika parishads/Nagar panchayat of the district Jalaun directing to follow the routine orders and work accordingly for protection of Gauvansh and preservation of Gaushalas. A true copy of letter dated 03.08.2022 is annexed and marked herein as ANNEXURE – R2.



(Handwritten signature)

C). That a letter dated 10.08.2022 was sent to BDO of Dakor/Jalaun/Kuthaud highlighting the issue of unprotected Gauvansh on Bundelkhand expressway and their admission in Gaushalas. The unprotected Gauvansh are causing damage to the green belt of the Bundelkhand expressway and also obstructing the traffic and in order to deal with this problem two private entities were engaged however constant reports of denial in admission of captured Gauvansh by Gaushalas is coming so we expect you to ensure the admission of captured Gauvansh in Gaushalas without any hurdle and direct you to help the private entities in admission of Gauvansh in the nearby Gaushalas. A true copy of letter dated 10.08.2022 is annexed herewith and marked as **ANNEXURE – R3.**

D). That on 10.08.2022 separate letters were sent to Sh. Vipin Kumar (BDO of Kaunch), Sh. Braj Kishore Kushwaha (BDO of kadaura), Smt. Pratibha Shalya (BDO of kuthaud), Sh. Deepak Kumar Yadav (BDO of Madhaugad), Sh. Gaurav Kumar (BDO of Nadigao), Sh. Nishant Tiwari (deputy collector, Apprentice/BDO of Dakor) addressing the issue of deficiency in follow up of orders and instruction given in the letter 974/OSD dated 31.07.2022. Based on the routine report dated 06.08.2022 it was observed that orders are not being followed in expected manner. The issue of unprotected Gauvansh is still persistent in the villages, and we are receiving



multiple complaints from villagers, also to notate that Gaushalas are still empty. The directions were issued to file the reply in 2 days explaining the reason for not following the order in expected manner, Failure of reply in two days will be deemed as "No Explanation" and thereafter action will be taken accordingly. The true copy of letters dated 10.08.2022 is annexed herewith and marked as ANNEXURE – R4 (COLLY).

E). That a letter dated 21.09.2022 was sent to Dr. Awadesh Singh, DPRO (District Panchayati Raj Officer). Letter stated that Based on your Inspection of Cowshed in Pandoura village, block Kadaura dated 13.09.2022 and report dated 14.09.2022 of the same inspection, it was found that drinking water and electricity facility in the premises is not as per the required standard. Kindly provide explanation regarding non availability of submersible pump and why no steps were taken by gram panchayat with regards to availability of electricity in the village Gaushala. Kindly explain why gram panchayat failed to provide fund for it and had not taken any measures for improvement of the condition. The Directions were issued to provide the details regarding funds received by Gaushala from panchayat and also provide further information regarding number of inspections visit of Gaushala conduction by you in the past and deficiencies found in those in inspection, and what measures you have



[Handwritten signature]

taken to resolve those issues. A true copy of letter dated 21.09.2022 is annexed herewith and marked as ANNEXURE – R5.

F). That on a sudden visit dated 10.10.2022 of KanhaGaushala of kadauraBlock with Additional District Magistrate (NamamiGange), Deputy District Officer Kalpi, BDO, Executive officer and Nagar Panchayat Sh. Vipin Kumar, Total 213 Gauvansh were found reserved in the Gaushala. It is to mention here that during the inspection visit found proper water facility and electricity facility in the Gaushala as per the guidelines. However, fodder (bhoosa) storage facility found prone to water damage due to windows in tin shed and direction given to the Executive Officer to take corrective measures. During the inspection visit it was also observed that No animal found infected with lumpy diseases and 3 injured Gauvansh are receiving medical treatment. Following directions were given during the visit: -

- Directed veterinary doctor to conduct regular inspection and treatment of cattle breed and do the physical verification of fodder.
- Direction given for availability of green fodder (hara chara) on daily basis and directed to use the barren land of gaushala for growing Napier grass.



(Handwritten signature)

- Direction given to relocate the compost fertilizer storage to avoid any harm to cattle breed and proper cleaning of the area.
- Inspection report prepared on dated 12.10.2022. A true copy of inspection visit report dated 12.10.2022 is annexed herewith and marked as ANNEXURE – R6.

G).That the Additional District Magistrate (NamamiGange) Sh. Vishal Kumar Yadav of District Jalaun, sent a letter dated 13.10.2022 to all the concerned Executive officers informing the issue observed during the kanhaGaushala inspection visit by DM and issue of green fodder in Gaushalas. As per letter following directions were given:-

- Make green fodder available in gaushalas on priority basis.
- Also upload the photos/videos of the facilities in Gaushalas on WhatsApp group of local bodies jalaun on daily basis. A true copy of letter dated 13.10.2022 is annexed herewith and marked as ANNEXURE – R7.



H).That a letter dated 16.10.2022 was sent to District Development officer highlighting the issue of green fodder and quality of Bhoosa as per multiple complaints received from locals during the review meeting dated 12.10.2022. It was observed that there is a possibility of nexus between the fodder contractor and department officials behind the

bad quality of fodder of Gaushalas. Direction was given to setup a committee to ensure the quality of fodder as per the prescribed standard guidelines. The Block Development Officer will be responsible for any failure and quality issue of the Fodder. A true copy of letter dated 16.10.2022 is annexed herewith and marked as **ANNEXURE – R8.**

I). That the Additional District Magistrate (Namami Gange) Sh. Vishal Kumar Yadav of District Jalaun, sent a letter dated 09.11.2022 to all the concerned Executive officers and Nagarpalika Parishad/Nagar Panchayat stating the issue of pending development projects and condition of Gaushalas. The letter directed them to conduct regular inspection of Gaushalas and ensure proper facilities, also to upload the photos of such visit on same day. A true copy of letter dated 09.11.2022 is annexed herewith and marked as **ANNEXURE – R9.**

J). That the Block Development Officer of Dakor block sent a letter dated 11.11.2022 to all the Village Development Officer and Village Panchayat Officer of Dakor block highlighting the issue of bad quality fodder (bhoosa) observed by District Magistrate. All the Gaushalas (Temporary and Permanent) were Directed to check the quality of Fodder (bhoosa) and issue certificate as per standard guidelines. The payment of fodder will be done only after the quality check-up and the Committee




[Handwritten signature]

will be responsible for any failure. A true copy of letter dated 11.11.2022 is annexed herewith and marked as

ANNEXURE – R10.

6. That on dated 17.11.2022 the Respondent No. 21 appeared before the Hon'ble Tribunal through video conference in the aforementioned original application 394/2022 and the Hon'ble Tribunal directed the undersigned to narrate the actions taken so far in the protection of Gauvansh and maintenance of Gaushalas. That in compliance of the same it is humbly submitted that following are the actions taken so far in compliance of the Hon'ble tribunal Order and notification no. 4324-37-2-2018-5(53)/2018 dated 02.01.2019 of the State Government Uttar Pradesh.


7. That during the area visit on dated 17.11.2022 the problem of unprotected Gauvansh loitering on the roadsides was observed and on the same day an order was issued to catch the unprotected Gauvansh in the city limits of Orai. The Additional Magistrate Orai Sh. Chandrakant Tiwari and Nayab Tahsildar Orai were appointed as supervisor of the teams engaged in this work and to oversee the whole process of safe transportation of Gauvansh to the Gaushala in their presence. A true copy of order dated 17.11.2022 is annexed herewith and marked as ANNEXURE – R11.



[Handwritten signature]

8. That a letter dated 20.11.2022 was sent to Additional District Magistrate Jalaun (Namami Gange) Sh. Vishal Kumar Yadav and District Panchayat Raj Officer, Jalaun Dr. Awadesh Singh highlighting the issue of cold weather and instructed to ensure the proper facilities in all the Gaushalas of the district to deal with such harsh winter weather. The directions were given to submit a report compiling all the problems of Gaushalas currently operating in their jurisdiction within three days so that it can be corrected before the harsh winter. A true copy of letter dated 20.11.2022 is annexed herewith and marked as ANNEXURE – R12.

9. That the Chief Veterinary Officer of district Jalaun sent a letter dated 21.11.2022 to all the deputy veterinary officer highlighting the issue of cold weather and instructed to ensure the proper facilities in all the Gaushalas of the district to deal with harsh winter weather. The directions were given to visit the Gaushalas to ensure the proper tin sheds facility in Gaushalas and file reply within 3 days accordingly. A true copy of letter dated 21.11.2022 is annexed herewith and marked as ANNEXURE – R13.



10. That the Chief Veterinary Officer of district Jalaun on a sudden inspection visit dated 23.11.2022 visited the temporary Gaushala at GIC, Nagarpalika Parishad, Orai. It was found that 14 Gauvansh are reserved in the Gaushala and 2 Gauvansh in Gaushala are receiving medical treatment of lumpy disease and

(Handwritten signature)

they are showing recovery. During the inspection found proper water facility and sufficient fodder for cattle in the Gaushala and to clean platform/floor seating area for Gauvansh. A true copy of Inspection report dated 23.11.2022 is annexed herewith and marked as ANNEXURE – R14.

11. That a letter dated 25.11.2022 was sent to District Development Officer district Jalaun. The letter stated that based on the previous complaints about the bad quality of fodder supplied by the contractors, directions were given to setup a committee on Block level to check the quality of fodder meant for Gauvansh consumption. However, we have not received any response or status report your end about the progress of committee. Therefore, the addressee was directed to submit the progress report of the committee and also provide details regarding investigation of fodder by the committee within three days. It was also directed to submit the status of green fodder availability in Gaushalas. A true copy of letter dated 25.11.2022 is annexed herewith and marked as ANNEXURE – R15.



12. That a letter dated 05.12.2022 was sent to Officer of Zila Panchayat District Jalaun, District Panchayati Raj Officer, All BDO's, All Executive officers and all the deputy veterinary officer of the district accentuating the issue of non-compliance of the official orders and guidelines with regards to Gaushalas and safety of the Gauvansh. The issues like improper tin shed in

[Handwritten signature]

Gaushalas, overcapacity of Gauvansh in some Gaushalas, Bad fodder quality causing serious health issues to Gauvansh and lack of medical treatment for injured Gauvansh were specifically pointed out in the letter and the concern of NGT regarding improper facilities was informed in the addressee of the letter. The directions were given to strictly follow the order under original application no.394/2022 of NGT dated 17.11.2022 and copies of order supplied as attachment with the letter. A true copy of letter dated 05.12.2022 is annexed herewith and marked as ANNEXURE – R16.

13. That on 08.12.2022 an order was issued to release the salary of September 2022 of two officials (manager of KonchGaushala and Veterinary Officer) with strict warning to perform duties properly as it was stopped by executive officer after their failure in duties to ensure proper facilities in Gaushalas and disinterest. A true copy of order dated 08.12.2022 is annexed herewith and marked as ANNEXURE – R17.

14. That a letter dated 16.12.2022 was sent to all the Deputy Chief veterinary officers of the district Jalaun by Chief veterinary officer of district Jalaun reminding the strict compliance of the order passed by the Hon'ble National Green Tribunal in Original Application no. 394/2022 vide order dated 17.11.2022. A true copy of letter dated 16.12.2022 is annexed herewith and marked as ANNEXURE – R18.


15. That on dated 28.12.2022, the Executive Officer (Nagar Palika Parishad Kalpi, Jalaun) Sent a letter to Additional District



Handwritten signature in blue ink.

Magistrate (NamamiGange) informing about the compliance of order dated 17.11.2022 passed by Hon'ble Tribunal in Original Application no. 394/2022. In the letter information relating to compliance of guidelines for protection of Gauvansh in the Alampur Temporary Gaushala, Kalpi as per the government notification and orders of district magistrate was highlighted which are as follows: -

- In the Gaushala we have good fodder like Bhoosa, Green Fodder and Khari chokhar as per the compliance of general guidelines.
- In the Gaushala we have proper Tin shed facility and Tirpal for protection of Gauvansh from cold winter weather.
- In the Gaushala we have ensured every possible facility for protected Gauvansh, and campus of Gaushala is about 2 Acre which is sufficient for smooth functioning.
- We have shifted the Gauvansh infected with lumpy disease to a specialized facility MRF Centre at Rajghat for medical treatment.
- We provide regular medical treatment facility in Gaushala through a veterinary doctor for Injured, old and sick Gauvansh as per the standard guidelines.




- We facilitate the admission of unprotected Gauvansh in the Gaushala without any hurdle as per the standard guidelines and orders from higher authority of the district.

A true copy of letter dated 28.12.2022 is annexed herewith and marked as ANNEXURE – R19.

16. That a letter dated 30.12.2022 was sent to Officer of Zila Panchayat District Jalaun, District Panchayati Raj Officer, all BDO's, all Executive officers and all the deputy veterinary officers of the district, again highlighting the problem of harsh winter and measures to be taken for protection of Gauvanshin Gaushalas. The directions were given to explore the possible options available to be considered for advance preparation and basic facilities in the Gaushalas of the district. A true copy of letter dated 30.12.2022 is annexed herewith and marked as ANNEXURE – R20.

17. That a letter dated 30.12.2022 was sent to the Executive officer kalpi, Executive officer Rampura, Block Development Officer (Kadaura, Dakor, Kuthaud), Deputy Chief Veterinary Officer (OraiSadar, Kalpi) and Veterinary Officer (Kadaura, Dakor, Rampura, Kuthaud) for inspection and compliance report. The letter was sent after an email complaint was received from a common man namely Sh. Pawan Dwivedi highlighting the non-compliance of state notification and Hon'ble Tribunal order dated 17.11.2022 causing deaths of Gauvansh in some Gaushalas. The message was conveyed to the concerned officials of the Gaushalas through the letter and directions were issued to submit investigation report with photographic evidence to Chief veterinary officer of the District Jalaun within 3 days. A true copy of letter dated 30.12.2022 is annexed herewith and marked as ANNEXURE – R21.



[Handwritten signature]

18. That a letter was sent to the Chief Veterinary officer, District Jalaun by the Deputy Chief Veterinary Officer District Jalaun and The Executive officer (Nagar Palika Parishad Orai) highlighting the pointwise report in response to the issues raised through email complaint dated 06.12.2022 by a common citizen namely Sh. Pawan Dwivedi. The pointwise report are as follows: -

- This is to bring in your notice that we are running a Kanha Gaushala in Sarsauki village, Orai with complete facility like medical facility, Tin Shed, Tirpal and Jute bag overcoat for complete protection of Gauvansh in winters.


- This is to inform you that dead unprotected cattle within the city limits are being buried properly in the forest area outside city.

- Higher officials of NagarPalika Parishad Orai does the Inspection regularly to ensure the basic facilities in the Gaushalas as per standard guidelines.

- This is to bring in your notice that we have appointed cattle catcher teams for unprotected Gauvansh loitering in

the city limits and facilitate the admission of such Gauvansh. A true copy of letter is annexed herewith and

marked as ANNEXURE – R22.



19. That during the area visit on dated 03.01.2023 the problem of unprotected Gauvansh lying on the roadsides of city limits of Jalaun was observed and on the same day an order was issued


(Handwritten signature)

to catch the unprotected Gauvansh in the city limits. The Additional Magistrate Orai Sh. Pushkar Nath Chaudhary and Nayab Tahsildar OraiSh. Gaurav Kumar were appointed as supervisors of the teams engaged in this work and to oversee the whole process of safe transportation of Gauvansh to the Gaushala in their presence. A true copy of order dated 03.01.2023 is annexed herewith and marked as ANNEXURE – R23.

20. That a letter dated 05.01.2023 was sent to the Chief Veterinary officer, District Jalaun by the Block Development Officer of Kadaura Block informing the details of joint Investigation conducted by Joint Block Development officer Kadaura and Veterinary officers in response to the issues raised through email complaint dated 06.12.2022 by a common citizen namely Sh. Pawan Dwivedi. The detailed view of joint investigation provides insight of every Gaushala in the Block which are as follows.

- Gaushala in gram panchayat KusumaraBawni

That the total 193 Gauvansh are protected in the Gaushala with 107 Quintal Fodder (bhoosa)reserve, and green fodder facility is also available for Gauvansh as per the requirement. A variety of amenities like Tin shed, tirpal, bonfire etc. are being made available to protect the Gauvansh in the cold winter nights. The designated veterinary officer performs routine checks in the gaushala, and sick Gauvansh receives the necessary care. The significant residents of the village have provided a signed



[Handwritten Signature]


joint written statement with images expressing their satisfaction with the facilities in Gaushala.

- Gaushala in gram panchayat Khutmili

That the total 74 Gauvansh are protected in the Gaushala with 40 Quintal Fodder (bhoosa) reserve, and green fodder facility is also available for Gauvansh as per the requirement. A variety of amenities like Tin shed, tirpal, bonfire etc. are being made available to protect the Gauvansh in the cold winter nights. The designated veterinary officer performs routine checks in the gaushala, and sick Gauvansh receives the necessary care. The significant residents of the village have provided a signed joint written statement with images expressing their satisfaction with the facilities in Gaushala.

- Gaushala in gram panchayat Udanpur

That the total 73 Gauvansh are protected in the Gaushala with 115 Quintal Fodder (bhoosa) reserve, and green fodder facility is also available for Gauvansh as per the requirement. A variety of amenities like Tin shed, tirpal, bonfire etc. are being made available to protect the Gauvansh in the cold winter nights. The designated veterinary officer performs routine checks in the gaushala, and sick Gauvansh receives the necessary care. The significant residents of the village have provided a signed



(Handwritten signature)


joint written statement with images expressing their satisfaction with the facilities in Gaushala.

- Gaushala in gram panchayat Babina.

That the total 140 Gauvansh are protected in the Gaushala with 35 Quintal Fodder (bhoosa) reserve, and green fodder facility is also available for Gauvansh as per the requirement. A variety of amenities like Tin shed, tirpal, bonfire etc. are being made available to protect the Gauvansh in the cold winter nights. The designated veterinary officer performs routine checks in the gaushala, and sick Gauvansh receives the necessary care. The significant residents of the village have provided a signed joint written statement with images expressing their satisfaction with the facilities in Gaushala.

- Gaushala in gram panchayat Kurhana Alamgir.

That the total 100 Gauvansh are protected in the Gaushala with 120 Quintal Fodder (bhoosa) reserve, and green fodder facility is also available for Gauvansh as per the requirement. A variety of amenities like Tin shed, tirpal, bonfire etc. are being made available to protect the Gauvansh in the cold winter nights. The designated veterinary officer performs routine checks in the gaushala, and sick Gauvansh receives the necessary care. Villagers also informed that no such incident of Dog Biting of Gauvansh are encountered in the village Gaushala. The



(Handwritten signature)


significant residents of the village have provided a signed joint written statement with images expressing their satisfaction with the facilities in Gaushala.

- Gaushala in gram panchayat Ikauna.

That the total 160 Gauvansh are protected in the Gaushala with 70 Quintal Fodder (bhoosa) reserve, and green fodder facility is also available for Gauvansh as per the requirement. A variety of amenities like Tin shed, tirpal, bonfire etc. are being made available to protect the Gauvansh in the cold winter nights. The designated veterinary officer performs routine checks in the gaushala, and sick Gauvansh receives the necessary care. The significant residents of the village have provided a signed joint written statement with images expressing their satisfaction with the facilities in Gaushala.

- Gaushala in gram panchayat Harvandpur.

That the total 68 Gauvansh are protected in the Gaushala with 80 Quintal Fodder (bhoosa) reserve, and green fodder facility is also available for Gauvansh as per the requirement. A variety of amenities like Tin shed, tirpal, bonfire etc. are being made available to protect the Gauvansh in the cold winter nights. The designated veterinary officer performs routine checks in the gaushala, and sick Gauvansh receives the necessary care. The significant residents of the village have provided a signed




(Handwritten signature)

joint written statement with images expressing their satisfaction with the facilities in Gaushala.

- Gaushala in gram panchayat Chamari.

That the total 677 Gauvansh are protected in the Gaushala with 185 Quintal Fodder (bhoosa) reserve, and green fodder facility is also available for Gauvansh as per the requirement. A variety of amenities like Tin shed, tirpal, bonfire etc. are being made available to protect the Gauvansh in the cold winter nights. The designated veterinary officer performs routine checks in the gaushala, and sick Gauvansh receives the necessary care. The significant residents of the village have provided a signed joint written statement with images expressing their satisfaction with the facilities in Gaushala.


A true copy of letter dated 05.01.2023 with written statement and photograph is annexed herewith and marked as ANNEXURE – R24 (colly).



That a Letter dated 06.01.2023 was sent to Chief Veterinary officer of District Jalaun by the Block Development officer of Kuthaud Block and the Veterinary officer Informing the compliance of Hon'ble Tribunal

order dated 17.11.2022 in Two Gaushalas (Naurezpur and Jahtauli) and ensured that the proper facilities for winter protection and fodder are available in the aforementioned Gaushalas as per the standard guidelines and order. A true copy of letter dated 06.01.2023 is annexed herewith and marked as ANNEXURE – R25.

22. That a Letter dated 12.01.2023 was sent to Special Secretary, Pashudhan Section II, Uttar Pradesh Government informing the compliance of the order passed by the Hon'ble National Green Tribunal in Original Application no. 394/2022 vide order dated 17.11.2022 in District Jalaun. It was informed that the Chief Veterinary Officer of the district Jalaun is satisfied with the reports of investigation of Gaushalas conducted by the Block District officers and the Veterinary officer. A true copy of letter dated 12.01.2023 is annexed herewith and marked as ANNEXURE – R26.
23. That a letter dated 15.01.2023 was sent to Officer of Zila Panchayat District Jalaun, District Panchayati Raj Officer, all BDO's and all the Executive officers of the district directing to ensure the availability of green fodder and tin shed facility in Gaushalas of the district to deal with the cold weather. The response to be filed within three days to chief veterinary officer of district Jalaun, so that it can be certified by the department. A true copy of letter dated 15.01.2023 is annexed herewith and marked as ANNEXURE – R27.




[Handwritten signature]

24. That on dated 25.02.2023 the Chief Veterinary Officer of District Jalaun supplied an information report accentuating that total 1946 Gauvansh are protected in the 7 Gaushalas of nagarpalikaparishad and nagarpanchayat (Umari, Rampura, Konch, Orai, Nadigao, Jalaun, Kadaura) established in the urban area of district Jalaun. That the report highlighted the action taken with regards to the protection of Gauvansh in winter weather and arrangements like tinshed facility, fire facility, fodder (bhoosa) facility and also lands being utilized for growing Napier Grass and Barseem within the complex of Gaushalas to make the proper arrangement of green fodder (Hara Chara) for Gauvansh.

The Gaushalas have already taken necessary steps in advance for protection of Gauvansh from direct sunlight and heat waves in the coming summer season was highlighted and several necessary arrangements like submersible for water facility, Tinshed for Gauvansh and storage of fodder are already done in advance. The information report contained data submitted by each Gaushala and documents are duly signed by the authorised officials of every Gaushalas. A true copy of information report dated 25.02.2023 is annexed herewith and marked as ANNEXURE – R28.

25. That on dated 25.02.2023 the Chief Veterinary Officer of District Jalaun supplied an information report accentuating that




total 40272 Gauvansh are protected in the 386 Gaushalas of 9 Blocks of the district (Dakor, Konch, Nadigao, Jalaun, Madhavgad, Mahewa, Rampura, Kadaura, Kuthaud) established in the rural

[Handwritten signature]

areas of district Jalaun. That the report highlighted the action taken with regards to the protection of Gauvansh in winter weather and arrangements like tinshed facility, fire facility, fodder (bhoosa) facility and also land is being utilized for growing Napier Grass and Barseem within the complex of Gaushalas to make the proper arrangement of green fodder (Hara Chara) for Gauvansh.

The Gaushalas have already taken necessary steps in advance for protection of Gauvansh from direct sunlight and heat waves in the coming summer season was highlighted and several necessary arrangements like submersible for water facility, Tinshed for Gauvansh and storage of fodder are already done in advance. The information report contained data submitted by each Block Development Officer and documents are duly signed by the Block Development Officers of every Block. A true copy of information report dated 25.02.2023 is annexed herewith and marked as ANNEXURE – R29.


That it isto mention here that in the official capacity the Respondent No. 21 has taken all the necessary steps in compliance of the state notificationsand central notifications issued for the protection of Gauvansh and maintenance of Gaushalas/Ashray Sthal in the district Jalaun without fail. The Respondent No. 21 in the official capacity has done multiple sudden inspection visits of the Gaushalas in the district to ensure the proper compliance of the guidelines. It is to mention here that various directions were issued by the Respondent no. 21 to ensure the admission of unprotected Gauvansh loitering on the



[Handwritten Signature]

Bundelkhand Expressway in nearby Gaushalas, committees were setup to ensure the quality of fodder and Napier grass in Gaushalas, directions were issued to catch the unprotected Gauvansh under the supervision of higher officials within the city limits and their admissions in the nearby Gaushalas, various orders and notifications were issued for advance preparation of Gaushalas/Ashray Sthal to protect the Gauvansh from cold winter season, directions were issued to the concerned officials for enquiry regarding the complaints highlighted by the common citizens and their timely disposal and also the directions were issued to veterinary officers of the district for regular checkup/medical treatment of the Gauvansh and their timely vaccination. It is also important to mention here that there are no slaughterhouses in the District Jalaun.


The aforementioned information reflects that the Respondent No. 21 in the official capacity has taken all the necessary steps and complied with the guidelines of the government for protection of Gauvansh and regular maintenance of Gaushalas in the District Jalaun.




DEPONENT
 (चाँदनी सिंह)
 जिलाधिकारी, जालौन

VERIFICATION

Verified at Delhi on this 13 the day of March, 2023 that the contents of the above affidavit are true and correct to my knowledge on the basis of the official records. No part of it is false and nothing material has been concealed thereof.



ATTESTED

 NOTARY PUBLIC, DELHI
 GOVT. OF INDIA


DEPONENT
 (चाँदनी सिंह)
 जिलाधिकारी, जालौन

Sakwal
 IDENTIFIED

पत्रांक 724

/गौ आश्रय स्थल/40पा0गौ/2022-23

दिनांक:- 01.7.2022

- 1-समस्त खण्ड विकास अधिकारी,
जनपद-जालौन।
- 2-समस्त अधिशाषी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, जनपद-जालौन।
- 3-समस्त उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी/पशु विविक्तसा अधिकारी,
जनपद-जालौन।

विषय:- जनपद में संरक्षित निराश्रित गौवंश एवं अन्य पशुधन को वर्षाकाल में बचाव हेतु आवश्यक उपाय किये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 1084/सेतीस-2-2022 एवं पशुधन अनुभाग-2 दिनांक 24-06-2022 जोकि अगोदरसाक्षरी को सम्बोधित हैं, के क्रम में अवगत कराना है, कि जनपद में विभिन्न गौ आश्रय स्थलों में 41900 गौवंश संरक्षित हैं। शेष गौवंशों को संरक्षित करने के लिए सतत कार्यवाही की जा रही है। बरसात के मौसम का नुकसान स्थल हुए संरक्षित गौवंश के भरण पोषण तथा वृष्टि/अतिवृष्टि, आकाशीय बिजली आदि से बचाव के साथ-साथ समयवद्धता के साथ चिकित्सा हेतु निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना अत्यन्त आवश्यक है:-

1. गौ आश्रय स्थलों पर यदि जल भरण की स्थिति हो, तो जल निगरानी की समुचित व्यवस्था के साथ-साथ गिट्टी भराई एवं खड-जा प्लेटफार्म आदि लगाये जाने की व्यवस्था की जाय।
 2. आश्रय स्थलों पर पर्याप्त शेड के साथ-साथ तैयार होना के साथ-साथ सख्त गौवंश का गोमने से बचाव हेतु तिरपात आदि की समुचित व्यवस्था की जाय।
 3. आश्रय स्थलों की फर्श एवं गौवंश हेतु तैयार बरतों की नियमित सफाई-सफाई के साथ-साथ पीने हेतु सफा पानी की व्यवस्था की जाय।
 4. बरसात के मौसम में बहुधा मच्छर/मकड़ी आदि के वेक्टर जनित रोग का प्रभाव बढ़ जाता है, जिस से बचाव हेतु आवश्यक दवाओं का नियमित छिड़काव कराया जाय तथा सज्जनक दवा से बचाव हेतु टीकाकरण एवं क्रमिनाशक दवापान अनिवार्य रूप से कराया जाय।
 5. आकाशीय बिजली से गौवंश को बचाने हेतु लाइटनिंग कंडक्टर/लाइटनिंग अरेस्टर की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने के साथ ही साथ संरक्षित गौवंश की प्राकृतिक/बीमारी से मुक्त होने की दशा में शव का निस्तारण वैज्ञानिक तरीके से कराया जाय।
 6. आश्रय स्थलों में गौवंश का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण तथा एच0एस0 का टीकाकरण कराया जाए।
- 2- उपरोक्त के अतिरिक्त बरसात के मौसम में बाढ़ आपदा की स्थिति में पशुधन पर विपरीत प्रभाव एवं पशु धाति से बचाव हेतु भी आवश्यक उपाय किये जाने हैं। सम्भावित आपदा से पूर्व की गयी तैयारियों से आपदा के प्रभाव को कम किया जा सकता है। अतः विगत वर्षों के बाढ़ अनुभवों के आधार पर आकलन कर प्रारम्भिक बाढ़ सहित सम्बन्धी कार्य योजना तैयार कर ली जाये। National Disaster Management Guidelines- Management of Floods तथा उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा दिनांक 03-06-2020 को दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप Animal Care Flood Management Preparedness Plan (ACFMP) विकसित कर आवश्यक व्यवस्थाओं हेतु प्रबन्ध सुनिश्चित कर लिया जाय। उक्त व्यवस्थाओं तीन खण्डों में निम्नवत तैयार की जाय:-

1- बाढ़ से पूर्व तैयारी।

1. आपदा के समय भूसे एवं चारे के मूल्य में वृद्धि के साथ-साथ इसके परिवहन में भी कठिनाई आती है। अतः ए0सी0एफ0एम0पी0 में भूसा व्यापारियों का चिन्हीकरण/दर अनुबन्ध, भूसे के परिवहन/भण्डारण आदि व्यवस्थाओं ससमय सुनिश्चित कराई जाय। निकटवर्ती पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्रों से अतिरिक्त भूसा की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जा सकती है।



503
कार्यालय जिलाधिकारी, Annexure - R-2
जालौन 26

पत्र संख्या 938 /ओ0एस0डी0

दिनांक अगस्त 05, 2022

विषय -- प्रदेश में निराश्रित/बेसहारा गोवंश की सुरक्षा एवं सर्कान हेतु स्थापित गो-आश्रय स्थलों पर गींध जंतु के दृष्टिगतगतूलभूत आवश्यकताओं की व्यवस्था के संबंध में।

समस्त खण्ड विकास अधिकारी/
समस्त अधिशासी अधिकारी,
नगरपालिका परिषदें/नगर पंचायतें,
जनपद जालौन।

उपरोक्त विषयक परिषदादेश संख्या जी265/5-40/2022 दिनांक 22.07.2022 द्वारा उ0प्र0 शासन प्रशुभन अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 355/सीटीस-2-2022-5 (53)/2018 टी0सी0-2 दिनांक 22.03.2022 (छाया प्रति सलग्न)की ओर ध्यान आकृष्ट करतें हुए दिये गये निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही कराये जाने की अपेक्षा की गयी है। कृपया शासनादेश में दिये गये निर्देशों का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करे।
सलग्नक- उपरोक्त।

(चौदनी सिंह)
जिलाधिकारी, जालौन।

पत्र पृष्ठांकन संख्या 938 /ओ0एस0डी0 तददिनांक
प्रतिलिपि -

- 1 मुख्य विकास अधिकारी जालौन।
- 2 अपर जिलाधिकारी(वि0एव रा0) जालौन।
- 3 मुख्य पशु चिकित्साधिकारी जालौन को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(चौदनी सिंह)
जिलाधिकारी, जालौन।



कार्यालय जिलाधिकारी, जालौन स्थान उरई।

२७

पत्र संख्या : 1000 /ओ0एस0डी0

दिनांक : अगस्त 10 2022

विषय :- बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे पर पकड़े जाने वाले आवारा पशुओं को गौशालाओं में दाखिल कराये जाने के सम्बन्ध में।

खण्ड विकास अधिकारी,
डकोर/जालौन/कुठौन्द,
जनपद जालौन।

उपर्युक्त विषयक मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वितीय तल पर्यटन भवन, सी-13 विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ के पत्रांक 3519/यूपीडा/2508/सुरक्षा/2022 (बु0खण्ड) दिनांक 01 अगस्त, 2022 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ले जिसके अन्तर्गत बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे पर आवारा पशुओं के आवागमन से प्रायः दुर्घटना की सम्भावना बनी रहती है। इसके अतिरिक्त आवारा पशुओं द्वारा एक्सप्रेस-वे के दोनों तरफ कराये गये बृहद वृक्षारोपण को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे में सड़क सुरक्षा एवं दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु आवारा पशुओं को पकड़ने के लिए मैसर्स एन0 हसन कन्ट्रैक्टर एवं मै0 आस्था टूर्स एण्ड ट्रेवल्स को अस्थायी रूप निविदा की कार्यवाही पूर्ण होने तक दिया गया है। एक्सप्रेस-वे पर आवारा पशुओं को पकड़ने के पश्चात कार्यदायी संस्था द्वारा निकटतम गौशाला में दाखिल कराया जाता है तो गौशाला संचालकों द्वारा आवारा पशुओं को दाखिल करने में आना कानी की जाती है। बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे से सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारियों को पकड़े गये आवारा पशुओं को स्थानीय/नजदीकी गौशालाओं में दाखिल कराने में कार्यदायी संस्था को सहयोग प्रदान करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये जाने की अपेक्षा की गयी है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे द्वारा नामित कार्यदायी संस्था द्वारा पकड़े गये आवारा पशुओं को एक्सप्रेस-वे के नजदीकी गौशाला में संरक्षित करवाना सुनिश्चित करें तथा यह भी सुनिश्चित किया जाये कि उक्त संस्था द्वारा पकड़े गये

आवारा गौवश को गौशाला में ले जाने पर किसी के द्वारा मना किया जाये तथा उनको संबंधित गौशाला में रखवाने, उनके रहने व खान-पान की व्यवस्था संबंधित गौशाला द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

505

संलग्नक- उपरोक्त।



(चाँदनी सिंह)

जिलाधिकारी, जालौन

पत्र पृष्ठांकन संख्या 1600 /ओ0एस0डी0 तददिनांक।

प्रतिलिपि :-

1. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वितीय तल पर्यटन भवन, सी-13 विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ पत्रांक 3519 /यूपीडा /2508 / सुरक्षा /2022 (बु0खण्ड) दिनांक 01 अगस्त, 2022 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य विकास अधिकारी, जालौन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. उप जिलाधिकारी, उरई /जालौन /माधौगढ को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, जालौन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



(चाँदनी सिंह)

जिलाधिकारी, जालौन।



कार्यालय जिलाधिकारी, जालौन।

29

पत्र संख्या : 160 / ओ0एस0डी0

दिनांक : अगस्त 0, 2022

श्री विपिन कुमार
खण्ड विकास अधिकारी,
कोंच।

शासन के निर्देशानुसार जनपद में संचालित गौशालाओं में गौवंश को संरक्षित कराये जाने एवं उनके खाने पीने की समुचित व्यवस्था कराये जाने के क्रम में इस कार्यालय के पत्र संख्या 974 / ओ0एस0डी0 दिनांक 31.07.2022 द्वारा यह निर्देश दिये गये थे कि अपने विकास खण्ड के अन्तर्गत संचालित गौशालाओं में गौवंश को संरक्षित किया जाये तथा यह सुनिश्चित किया जाय कि कोई भी गौवंश अनियंत्रित रूप से विचरण करता हुआ न पाया जाय। साथ ही जो गौशालायें खाली हैं उनमें ग्राम की आवारा गौवंश को संरक्षित करवाते हुये प्रतिदिन की सूचना प्रेषित की जाय। आप द्वारा दिनांक 06.08.2022 को प्रेषित की गयी सूचना के अवलोकन से विदित है कि आपके द्वारा गौशालाओं में गौवंश को संरक्षित किये जाने हेतु कोई सार्थक प्रयास नहीं किये जा रहे हैं, जिस कारण आज भी गौशालायें खाली पड़ी हुई हैं जब कि ग्रामों से यह निरन्तर सूचना प्राप्त हो रही है कि आवारा गौवंश ग्राम में विचरण कर रहे हैं और यह गौवंश ग्राम के समीप मार्गों पर खडे रहते हैं जिससे आवागमन प्रभावित होने के साथ-साथ दुर्घटनाएँ होने की सम्भावनाएँ बनी रहती हैं। आप द्वारा ग्रामवार/गौशालावार उपलब्ध कराई गयी स्थिति निम्नवत है:-

क्र० सं०	गौशाला स्थल का नाम	गौशाला में संरक्षित किये जाने वाले गौवंश की क्षमता	दिनांक 06.08.22 तक संरक्षित गौवंशों की सं०
1.	जमरोही खुर्द	100	0
2.	घुसिया	100	0
3.	खेरी	50	0
4.	इंगुई खुर्द	70	0
5.	चमारी	200	0
6.	विरासनी	80	0
7.	छानी	200	0
8.	अटा	65	0
9.	बस्ती	100	0
10.	गोरा करनपुर	75	0
11.	कुँवरपुरा	150	0

उक्त ग्रामवार गौशालाओं की सूचना से यह स्पष्ट है कि आपके द्वारा दिये गये निर्देश के बाबजूद भी अपेक्षित कार्यवाही अमल में नहीं लाई गयी।

अतः आप उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण पत्र प्राप्ति के दो दिवस के अन्दर उपलब्ध कराये कि दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किन परिस्थितियों में सुनिश्चित नहीं किया गया, यदि नियत समय में आपका स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता है तथा दिये गये निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित नहीं कराया जाता है तो समझा जाएगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है और तदनुसार आपके विरुद्ध कार्यवाही अमल में लाया जाना प्रशासनिक बाध्यता होगी।

(चाँदनी सिंह)

जिलाधिकारी, जालौन।

पत्र पृष्ठांकन संख्या 1001/ओएस0डी0 तददिनांक
प्रतिलिपि :-

1. मुख्य विकास अधिकारी, जालौन को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. उप जिलाधिकारी, कोंच।
3. मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, जालौन।

(चाँदनी सिंह)

जिलाधिकारी, जालौन।



508

कार्यालय जिलाधिकारी, 31 जालौन।

पत्र संख्या : 1002 / ओ0एस0डी0

दिनांक : अगस्त 10, 2022

श्री बृज किशोर कुशवाहा,
खण्ड विकास अधिकारी,
कदौरा।

शासन के निर्देशानुसार जनपद में संचालित गौशालाओं में गौवंश को संरक्षित कराये जाने एवं उनके खाने पीने की समुचित व्यवस्था कराये जाने के क्रम में इस कार्यालय के पत्र संख्या 974 / ओ0एस0डी0 दिनांक 31.07.2022 द्वारा यह निर्देश दिये गये थे कि अपने विकास खण्ड के अन्तर्गत संचालित गौशालाओं में गौवंश को संरक्षित किया जाये तथा यह सुनिश्चित किया जाय कि कोई भी गौवंश अनियंत्रित रूप से विचरण करता हुआ न पाया जाय। साथ ही जो गौशालाये खाली है उनमें ग्राम की आवारा गौवंश को संरक्षित करवाते हुये प्रतिदिन की सूचना प्रेषित की जाय। आप द्वारा दिनांक 06.08.2022 को प्रेषित की गयी सूचना के अवलोकन से विदित है कि आपके द्वारा गौशालाओं में गौवंश को संरक्षित किये जाने हेतु कोई सार्थक प्रयास नहीं किये जा रहे है, जिस कारण आज भी गौशालाये खाली पडी हुई है जब कि ग्रामों से यह निरन्तर सूचना प्राप्त हो रही है कि आवारा गौवंश ग्राम में विचरण कर रहे है और यह गौवंश ग्राम के समीप मार्गो पर खडे रहते है जिससे आवागमन प्रभावित होने के साथ-साथ दुर्घटनाएँ होने की सम्भावनाएँ बनी रहती हैं। आप द्वारा ग्रामवार / गौशालावार उपलब्ध कराई गयी रिधति निम्नवत है:-

क्र० सं०	गौशाला स्थल का नाम	गौशाला में संरक्षित किये जाने वाले गौवंश की क्षमता	दिनांक 06.08.22 तक संरक्षित गौवंशों की सं०
1.	बरखेरा	50	15
2.	सुरौला	55	20
3.	सुरहती	45	20
4.	जौरा खेरा	45	20
5.	कुँआ खेड़ा (दादपुर)	55	18
6.	काना खेड़ा	50	15
7.	मसगाया	50	20
8.	परौसा	40	10
9.	इटौरा बावनी	40	0
10.	हरचन्दपुर	50	22
11.	आटा	60	00
12.	पण्डौरा	60	00

3.	बड़ागाँव	70	00
4.	कठपुरवा	55	00
5.	मरगायाँ	150	00
6.	नाका	50	00

उक्त ग्रामवार गौशालाओं की सूचना से यह स्पष्ट है कि आपके द्वारा दिये गये दिश के बाबजूद भी अपेक्षित कार्यवाही अमल में नहीं लाई गयी।

अतः आप उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण पत्र प्राप्ति के दो दिवस के अन्दर उपलब्ध करायें कि दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किन परिस्थितियों में सुनिश्चित नहीं किया गया, यदि नियत समय में आपका स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता है तब ये गये निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित नहीं कराया जाता है तो समझा जाएगा कि आपका संबंध में कुछ नहीं कहना है और तदनुसार आपके विरुद्ध कार्यवाही अमल में लाया जा सकता है।



(चाँदनी सिंह)
जिलाधिकारी, जालौन।

पृष्ठांकन संख्या - /ओ0एस0डी0 तददिनांक

लिपि :-

1. मुख्य विकास अधिकारी, जालौन को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. उप जिलाधिकारी, कालपी।
3. मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, जालौन।

(चाँदनी सिंह)
जिलाधिकारी, जालौन



कार्यालय 5110 लाधिकारी, जालौन।

33

पत्र संख्या : 1504 / ओ0एस0डी0

दिनांक : अगस्त 0, 2022

श्रीमती प्रतिभा शाल्या,
खण्ड विकास अधिकारी,
कुठौंद।

शासन के निर्देशानुसार जनपद में संचालित गौशालाओं में गौवंश को संरक्षित कराये जाने एवं उनके खाने पीने की समुचित व्यवस्था कराये जाने के क्रम में इस कार्यालय के पत्र संख्या 974 / ओ0एस0डी0 दिनांक 31.07.2022 द्वारा यह निर्देश दिये गये थे कि अपने विकास खण्ड के अन्तर्गत संचालित गौशालाओं में गौवंश को संरक्षित किया जाये तथा यह सुनिश्चित किया जाय कि कोई भी गौवंश अनियंत्रित रूप से विचरण करता हुआ न पाया जाय। साथ ही जो गौशालायें खाली हैं उनमें ग्राम की आवारा गौवंश को संरक्षित करवाते हुये प्रतिदिन की सूचना प्रेषित की जाय। आप द्वारा दिनांक 06.08.2022 को प्रेषित की गयी सूचना के अवलोकन से विदित है कि आपके द्वारा गौशालाओं में गौवंश को संरक्षित किये जाने हेतु कोई सार्थक प्रयास नहीं किये जा रहे हैं, जिस कारण आज भी गौशालायें खाली पड़ी हुई है जब कि ग्रामों से यह निरन्तर सूचना प्राप्त हो रही है कि आवारा गौवंश ग्राम में विचरण कर रहे हैं और यह गौवंश ग्राम के समीप मार्गों पर खडे रहते हैं जिससे आवागमन प्रभावित होने के साथ-साथ दुर्घटनाएँ होने की सम्भावनाएँ बनी रहती हैं। आप द्वारा ग्रामवार/गौशालावार उपलब्ध कराई गयी स्थिति निम्नवत है:-

क्र० सं०	गौशाला स्थल का नाम	गौशाला में संरक्षित किये जाने वाले गौवंश की क्षमता	दिनांक 06.08.22 तक संरक्षित गौवंशों की सं०
1.	करतलापुर	50	18
2.	मडौरा	50	15
3.	टिकरी मुस्तकिल	100	19
4.	सिहारी चैलापुर	100	12
5.	सलेमपुर कालपी	50	14
6.	नैनापुर	50	21
7.	पीपरी गहरवार	50	24
8.	तौलकपुर	50	23
9.	सुरावली जालौन	100	25
10.	निजामपुर	50	0
11.	हरसिंगपुर	30	0

उक्त ग्रामवार गौशालाओं की सूचना से यह स्पष्ट है कि आपके द्वारा दिये गये निर्देश के बावजूद भी अपेक्षित कार्यवाही अमल में नहीं लाई गयी।

अतः आप उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण पत्र प्राप्ति के दो दिवस के अन्दर उपलब्ध कराये कि दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किन परिस्थितियों में सुनिश्चित नहीं किया गया, यदि नियत समय में आपका स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता है तथा दिये गये निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित नहीं कराया जाता है तो समझा जाएगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है और तदनुसार आपके विरुद्ध कार्यवाही अमल में लाया जाना प्रशासनिक बाध्यता होगी।



(चाँदनी सिंह)

जिलाधिकारी, जालौन। १/२

पत्र पृष्ठांकन संख्या 1004 /ओ0एस0डी0 तददिनांक
प्रतिलिपि :-

1. मुख्य विकास अधिकारी, जालौन को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. उप जिलाधिकारी, जालौन को सूचनार्थ।
3. मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, जालौन।



(चाँदनी सिंह)

जिलाधिकारी, जालौन। १/२



कार्यालय जिलाधिकारी, जालौन।

पत्र संख्या : 1005 / ओ0एस0डी0

दिनांक : अगस्त / 0, 2022

श्री दीपक कुमार यादव,
खण्ड विकास अधिकारी,
माधौगढ़।

शासन के निर्देशानुसार जनपद में संचालित गौशालाओं में गौवंश को संरक्षित कराये जाने एवं उनके खाने पीने की समुचित व्यवस्था कराये जाने के क्रम में इस कार्यालय के पत्र संख्या 974 / ओ0एस0डी0 दिनांक 31.07.2022 द्वारा यह निर्देश दिये गये थे कि अपने विकास खण्ड के अन्तर्गत संचालित गौशालाओं में गौवंश को संरक्षित किया जाये तथा यह सुनिश्चित किया जाय कि कोई भी गौवंश अनियंत्रित रूप से विचरण करता हुआ न पाया जाय। साथ ही जो गौशालायें खाली हैं उनमें ग्राम की आवारा गौवंश को संरक्षित करवाते हुये प्रतिदिन की सूचना प्रेषित की जाय। आप द्वारा दिनांक 06.08.2022 को प्रेषित की गयी सूचना के अवलोकन से विदित है कि आपके द्वारा गौशालाओं में गौवंश को संरक्षित किये जाने हेतु कोई सार्थक प्रयास नहीं किये जा रहे हैं, जिस कारण आज भी गौशालायें खाली पड़ी हुई हैं जब कि ग्रामों से यह निरन्तर सूचना प्राप्त हो रही है कि आवारा गौवंश ग्राम में विचरण कर रहे हैं और यह गौवंश ग्राम के समीप मार्गों पर खड़े रहते हैं जिससे आवागमन प्रभावित होने के साथ-साथ दुर्घटनाएँ होने की सम्भावनाएँ बनी रहती हैं। आप द्वारा ग्रामवार/गौशालावार उपलब्ध कराई गयी स्थिति निम्नवत है:-

क्र० सं०	गौशाला स्थल का नाम	गौशाला में संरक्षित किये जाने वाले गौवंश की क्षमता	दिनांक 06.08.22 तक संरक्षित गौवंशों की सं०
1.	अमखेडा	450	66
2.	मडौरी	300	33
3.	चितौरा	100	31
4.	चाकी	150	00
5.	दिरिया माधौगढ़	150	34
6.	शहबाजपुर	100	00
7.	सिहारी माधौगढ़	160	00
8.	सरावन (नवीन)	498	00

उक्त ग्रामवार गौशालाओं की सूचना से यह स्पष्ट है कि आपके द्वारा दिये गये निर्देश के बावजूद भी अपेक्षित कार्यवाही अमल में नहीं लाई गयी।

अतः आप उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण पत्र प्राप्ति के दो दिवस के अन्दर उपलब्ध करायें कि दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किन परिस्थितियों में सुनिश्चित नहीं किया गया, यदि नियत समय में आपका स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता है तथा दिये गये निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित नहीं कराया जाता है तो समझा जाएगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है और तदनुसार आपके विरुद्ध कार्यवाही अमल में लाया जाना प्रशासनिक बाध्यता होगी।



(चौदनी सिंह)

जिलाधिकारी, जालौन। १६

पत्र पृष्ठांकन संख्या 1005/ओ0एस0डी0 तददिनांक
प्रतिलिपि :-

1. मुख्य विकास अधिकारी, जालौन को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. उप जिलाधिकारी, माधौगढ।
3. मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, जालौन।



(चौदनी सिंह)

जिलाधिकारी, जालौन। १६



कार्यालय 514 जिलाधिकारी, 37 जालौन।

पत्र संख्या : 1006 /ओ0एस0डी0

दिनांक : अगस्त 0, 2022

श्री गौरव कुमार,
खण्ड विकास अधिकारी,
नदीगॉव।

शासन के निर्देशानुसार जनपद में संचालित गौशालाओं में गौवंश को संरक्षित कराये जाने एवं उनके खाने पीने की समुचित व्यवस्था कराये जाने के क्रम में इस कार्यालय के पत्र संख्या 974/ओ0एस0डी0 दिनांक 31.07.2022 द्वारा यह निर्देश दिये गये थे कि अपने विकास खण्ड के अन्तर्गत संचालित गौशालाओं में गौवंश को संरक्षित किया जाये तथा यह सुनिश्चित किया जाय कि 'कोई भी गौवंश अनियंत्रित रूप से विचरण करता हुआ न पाया जाय। साथ ही जो गौशालायें खाली हैं उनमें ग्राम की आवारा गौवंश को संरक्षित करवाते हुये प्रतिदिन की सूचना प्रेषित की जाय। आप द्वारा दिनांक 06.08.2022 को प्रेषित की गयी सूचना के अवलोकन से विदित है कि आपके द्वारा गौशालाओं में गौवंश को संरक्षित किये जाने हेतु कोई सार्थक प्रयास नहीं किये जा रहे हैं, जिस कारण आज भी गौशालायें खाली पडी हुई हैं जब कि ग्रामों से यह निरन्तर सूचना प्राप्त हो रही है कि आवारा गौवंश ग्राम में विचरण कर रहे हैं और यह गौवंश ग्राम के समीप मार्गों पर खडे रहते हैं जिससे आवागमन प्रभावित होने के साथ-साथ दुर्घटनाएँ होने की सम्भावनाएँ बनी रहती हैं। आप द्वारा ग्रामवार/गौशालावार उपलब्ध कराई गयी स्थिति निम्नवत है:-

क्र० सं०	गौशाला स्थल का नाम	गौशाला में संरक्षित किये जाने वाले गौवंश की क्षमता	दिनांक 06.08.22 तक संरक्षित गौवंशों की सं०
1.	परावर	80	23
2.	उमरी माधौगढ़	85	21
3.	रौरा	50	15
4.	मानपुरा	80	17
5.	कैलिया खुर्द	60	22
6.	अकनीवा	70	22
7.	कनासी	80	22
8.	पचीपुरा खुर्द	50	22
9.	सलैया खुर्द	60	20
10.	महतवानी माधौगढ़	70	23
11.	डीहा	70	21

उक्त ग्रामवार गौशालाओं की सूचना से यह स्पष्ट है कि आपके द्वारा दिये गये निर्देश के बाबजूद भी अपेक्षित कार्यवाही अमल में नहीं लाई गयी।

अतः आप उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण पत्र प्राप्ति के दो दिवस के अन्दर उपलब्ध करायें कि दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किन परिस्थितियों में सुनिश्चित नहीं किया गया, यदि नियत समय में आपका स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता है तथा दिये गये निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित नहीं कराया जाता है तो समझा जाएगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है और तदनुसार आपके विरुद्ध कार्यवाही अमल में लाया जाना प्रशासनिक बाध्यता होगी।



(चाँदनी सिंह)

जिलाधिकारी, जालौन।*de*

पत्र पृष्ठांकन संख्या 1506 /ओ0एस0डी0 तददिनांक

प्रतिलिपि :-

1. मुख्य विकास अधिकारी, जालौन को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. उप जिलाधिकारी, कोच।
3. मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, जालौन।



(चाँदनी सिंह)

जिलाधिकारी, जालौन।*de*



516
कार्यालय जिलाधिकारी,
जालौन।

39

पत्र संख्या : 1067- /ओ0एस0डी0

दिनांक : अगस्त 10, 2022

श्री निशान्त तिवारी,
डिप्टी कलेक्टर, प्रशिक्षु/
खण्ड विकास अधिकारी,
डकोर।


शासन के निर्देशानुसार जनपद में संचालित गौशालाओं में गौवंश को संरक्षित कराये जाने एवं उनके खाने पीने की समुचित व्यवस्था कराये जाने के क्रम में इस कार्यालय के पत्र संख्या 974/ओ0एस0डी0 दिनांक 31.07.2022 द्वारा यह निर्देश दिये गये थे कि अपने विकास खण्ड के अन्तर्गत संचालित गौशालाओं में गौवंश को संरक्षित किया जाये तथा यह सुनिश्चित किया जाय कि कोई भी गौवंश अनियंत्रित रूप से विचरण करता हुआ न पाया जाय। साथ ही जो गौशालायें खाली हैं उनमें ग्राम की आवारा गौवंश को संरक्षित करवाते हुये प्रतिदिन की सूचना प्रेषित की जाय। आप द्वारा दिनांक 06.08.2022 को प्रेषित की गयी सूचना के अवलोकन से विदित है कि आपके द्वारा गौशालाओं में गौवंश को संरक्षित किये जाने हेतु कोई सार्थक प्रयास नहीं किये जा रहे हैं, जिस कारण आज भी गौशालायें खाली पडी हुई हैं जब कि ग्रामों से यह निरन्तर सूचना प्राप्त हो रही है कि आवारा गौवंश ग्राम में विचरण कर रहे हैं और यह गौवंश ग्राम के समीप मार्गों पर खडे रहते हैं जिससे आवागमन प्रभावित होने के साथ-साथ दुर्घटनाएँ होने की सम्भावनाएँ बनी रहती हैं। आप द्वारा ग्रामवार/गौशालावार उपलब्ध कराई गयी स्थिति निम्नवत है:-

क्र० सं०	गौशाला स्थल का नाम	गौशाला में संरक्षित किये जाने वाले गौवंश की क्षमता	दिनांक 06.08.22 तक संरक्षित गौवंशों की सं०
1.	ऐधा	60	10
2.	कुरकुरु	70	10
3.	सोदनगर	50	12
4.	धुरट	199	22
5.	विरगुवां	68	20
6.	ददरी	100	15
7.	करुई बुजुर्ग	98	20
8.	टीकर	85	15
9.	रिरुआ	85	20
10.	डकोर	500	13
11.	चिल्ली	185	18
12.	गोरन	98	15

13.	गुढा	176	
14.	बधौली	173	06
15.	धमनी बुजुर्ग	65	16
16.	धरगुवां	96	09
17.	कुइयां	87	09
18.	कुठौंदा	85	00
19.	मुहम्मदाबाद	130	00
20.	कुकरगांव	275	20
21.	सेवडी	63	15
22.	अकोढी	110	00
23.	हरदोई गूजर	90	00
24.	खरुसा	200	00
25.	वर्ध	140	08
26.	बडागाँव	140	00
27.	भुआ	110	00
28.	बरसार	87	25
29.	बिनौरा पुर	76	28
30.	पुर	130	10
31.	अजनारी	289	22
32.	मडोरा	150	00

उक्त ग्रामवार गौशालाओं की सूचना से यह स्पष्ट है कि आपके द्वारा दिये गये निर्देश के बावजूद भी अपेक्षित कार्यवाही अमल में नहीं लाई गयी।

अतः आप उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण पत्र प्राप्ति के दो दिवस के अन्दर उपलब्ध कराये कि दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किन परिस्थितियों में सुनिश्चित नहीं किया गया, यदि नियत समय में आपका स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता है तथा दिये गये निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित नहीं कराया जाता है तो समझा जाएगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है और तदनुसार आपके विरुद्ध कार्यवाही अमल में लाया जाना प्रशासनिक बाध्यता होगी।



(चाँदनी सिंह)

जिलाधिकारी, जालौन।

पत्र पृष्ठांकन संख्या 167/ओ0एस0डी0 तददिनांक
प्रतिलिपि :-

1. मुख्य विकास अधिकारी, जालौन को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. उप जिलाधिकारी, उरई।
3. मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, जालौन।



(चाँदनी सिंह)

जिलाधिकारी, जालौन।



Annexure - R-5

518 कार्यालय जिलाधिकारी, 41
जालौन ।

पत्र संख्या : 15 /ओ०एस०डी०

दिनांक : सितम्बर 21, 2022

डॉ० अवधेश सिंह,
जिला पंचायत राज अधिकारी,
जालौन ।

दिनांक 13.09.2022 को आप द्वारा ग्राम पंचायत पण्डौरा विकास खण्ड कदौरा में संचालित गौशाला का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षणोपरान्त आप द्वारा निरीक्षण टिप्पणी दिनांक 14.09.2022 उपलब्ध कराई गयी। आप द्वारा उपलब्ध कराई गयी निरीक्षण टिप्पणी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि गौशाला में संरक्षित गौवंश हेतु पानी एवं विद्युत संयोजन का अभाव पाया गया। निरीक्षण के दौरान गौवंश संरक्षण व्यवस्थित नहीं पाया गया।

कृपया स्पष्ट करें कि गौशाला में संरक्षित गौवंश को पानी उपलब्ध कराये जाने हेतु अब तक हैण्डपम्प एवं उसमें समरसेविल क्यों स्थापित नहीं कराया जा सका, हैण्डपम्प स्थापित कराये जाने में ग्राम पंचायत की कितनी धनराशि के व्यय की सम्भावना थी, क्या ग्राम पंचायत पर धनराशि उपलब्ध नहीं थी? और विद्युत संयोजन कराये जाने हेतु ग्राम पंचायत द्वारा सार्थक प्रयास क्यों नहीं किये गये? यह भी स्पष्ट करें कि इस ग्राम पंचायत में संचालित गौशाला के लिए कब-कब कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गयी। पूर्ण विवरण वित्तीय वर्षवार उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

साथ ही यह भी स्पष्ट करें कि आप द्वारा संचालित गौशाला का कब-कब स्थलीय निरीक्षण किया गया और निरीक्षण के दौरान क्या स्थिति पाई गयी? और निरीक्षण के दौरान पाई गयी कमियों के निराकरण हेतु आप द्वारा क्या सार्थक प्रयास किये गये? किये गये निरीक्षणों का निरीक्षण प्रतिवेदन की छाया प्रति भी स्पष्टीकरण के साथ प्रस्तुत करें।


(चाँदनी सिंह)
जिलाधिकारी, जालौन।
९

निरीक्षण टिप्पणी कान्हा गौशाला नगर पंचायत कदौरा जनपद जालौन।

आज दिनांक 10.10.2022 को अपर जिलाधिकारी(नमामि गंगे) के साथ कान्हा गौशाला कदौरा का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उप जिलाधिकारी कालपी, खण्ड विकास अधिकारी कदौरा एवं अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत श्री विपिन कुमार उपस्थित रहें। गौशाला प्रभारी श्री भारत सिंह एवं केयर टेकर श्री गजेन्द्र सिंह निरीक्षण के दौरान उपस्थित पाये गये। गौशाला में 213 गौवंश संरक्षित पाये गये। गौशाला में गौवंश के संरक्षण हेतु टीन शैड बनाये गये हैं तथा चारा खाने के लिए चरही बनाई गयी हैं। पानी की व्यवस्था हेतु गौशाला परिसर में समरसेविल लगाई है। गौशाला में विद्युत सयोजन पाया गया। गौशाला में पानी एवं बिजली की कोई असुविधा नहीं बताई गयी है।



निरीक्षण के दौरान टीन शैड के बड़े हॉल में भूसा अनुरक्षित किया गया है। इस हॉल में खिडकियों से वर्षा का पानी जाता है जिससे अनुरक्षित भूसा खराब होने की प्रबल सम्भावना है। अधिशासी अधिकारी इस भूसा को सुरक्षित कराया जाना सुनिश्चित करें। निरीक्षण के दौरान लम्पी डिस्सीज रोग से कोई गौवंश ग्रसित नहीं पाया गया। 03 छोटे गौवंश मार्ग पर दुर्घटनाग्रस्त हो गये थे जिन्हें गौशाला में दाखिल कर पशु चिकित्साधिकारी द्वारा उपचार किया जा रहा है। उपस्थित पशु चिकित्साधिकारी डा० नीरज सचान को निर्देशित किया गया कि वह संरक्षित पशुओं का परीक्षण करते रहें तथा यह सुनिश्चित करें कि कोई

भी गौवंश प्रभावी रोग से ग्रसित न होने पाए। 520 को निर्देशित किया जाता है कि वह गौशाला में आपूर्ति किये जाने वाले चारे का भौतिक सत्यापन किया जाना सुनिश्चित करें। 43



अधिकांश अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि गौशाला में संरक्षित गौवंश हेतु हरा चारा आपूर्ति कराया जा रहा है, परन्तु मौके पर कोई हरा चारा उपलब्ध नहीं पाया गया। खण्ड विकास अधिकारी इस संबंध में पृथक से जाँच कर लें कि किस-किस तिथि में कितना हरा चारा गौवंश हेतु आपूर्ति कराया गया है। अपर जिलाधिकारी(नमामि गंगे)को निर्देशित किया जाता है कि जनपद की प्रत्येक कान्हा गौशाला में हरा चारा आपूर्ति किये जाने हेतु संरक्षित गौवंश के सापेक्ष मात्रा का निर्धारण कर दें ताकि हरा चारा आपूर्ति होने के पश्चात उसकी खपत एवं भौतिक सत्यापन सुनिश्चित हो सके।

कम्पोस्ट खाद के लिए गौशाला के मध्य में गड्ढा बनाया गया है, जिसमें किसी गौवंश के हता-हत होने की सम्भावना बनी रहेगी। अतः अधिकांश अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वह कम्पोस्ट खाद के गड्ढों को गौशाला के किसी किनारे पर बनवाया जाना सुनिश्चित करायें।

अधिकांश अधिकारी, नगर पंचायत गौशाला में रिक्त पड़ी भूमि पर नैपियर घास का लगवाया जाना सुनिश्चित करायें ताकि उसका उपयोग संरक्षित गौवंश के लिए किया जा सके। निरीक्षण के दौरान उपस्थित श्री भरत सिंह भदौरिया निवासी ग्राम बडागांव द्वारा अवगत

कराया गया कि उनके खेत में हरी घास खड़ी हुई है और वह यह घास नि:शुल्क देने के तैयार हैं। अधिशासी अधिकारी, इस घास को मंगवाकर गौशाला में आपूर्ति कराया जाना सुनिश्चित कराये साथ ही गौवंश को प्रतिदिन हरा घास खिलाये जाने की फोटो ग्रुप फ अपलोड कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

निरीक्षण के दौरान गौशाला में 15-20 हाथ कूड़ा गाड़ी रखी पाई गयी। अधिशासी अधिकारी इन कूड़ा गाड़ियों को सफाई कर्मचारियों को उपलब्ध कराये ताकि इनका सदुपयोग किया जा सके। उप जिलाधिकारी कालपी / खण्ड विकास अधिकारी कदौरा रिक्त पर्ड भूमि/बजर भूमि चिन्हित कर लें तथा उस पर अधिशासी अधिकारी नैपियर घास लगवाय जाना सुनिश्चित करायेगे ताकि इस घास का उपयोग संरक्षित गौवंश के लिए किया जा सके।

निरीक्षण के दौरान गौशाला में जिस स्थान पर बीमार गौवंश बैठे थे, उस स्थान पर सफाई का अभाव पाया गया। अधिशासी अधिकारी गौशाला में पर्याप्त सफाई व्यवस्था कराया जाना सुनिश्चित कराये



(चौदनी सिंह)
जिलाधिकारी, जालौन।

९



कार्यालय जिलाधिकारी,
जालौन ।

पत्र संख्या : 61 /ओ0एस0डी0
प्रतिलिपि -

दिनांक : अक्टूबर 12 2022

1. आयुक्त, झाँसी मण्डल, झाँसी के अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य विकास अधिकारी जालौन।
3. अपर जिलाधिकारी(नमामि गंगे) जालौन।
4. उप जिलाधिकारी कालपी।
5. खण्ड विकास अधिकारी कदौरा।
6. अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत कदौरा को अनुपालनार्थ।



(चौदनी सिंह)
जिलाधिकारी, जालौन।

९

कार्यालय जिलाधिकारी, जालौन

Annexure R-7

522

45

उरई: दिनांक 3, अक्टूबर 2022

सं. संख्या आ. 5 / 21-एलओ/2022

(शिकाओ / 22)

नगरपालिका अधिकारी
नगरपालिका परिषद / नगर पंचायत
जनपद जालौन।

विषय- कान्हा गौशाला में अनुरक्षित गौवंशों को समुचित हरा चारा/भूसा खिलाने के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि दिनांक 11.10.2022 को पूर्वान्ह 11.15 बजे जिलाधिकारी महोदया द्वारा कस्बा कदौरा स्थित कान्हा गौशाला का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान सज्ञान में आया है कि गौशाला में अनुरक्षित गौवंशों को निर्धारित मात्रा में हरा चारा, भूसा, दाना, गुड आदि उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। उक्त स्थिति पर जिलाधिकारी महोदया द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये गौवंशों को निर्धारित मात्रा में हरा चारा आदि खिलाये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

अतः उपरोक्त के सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है कि गौशाला में अनुरक्षित गौवंशों के लिये नेपियर घास/हरा चारा आदि लगाने की व्यवस्था करते हुये गौवंशों को निर्धारित मात्रा में हरा चारा, भूसा, दाना, गुड आदि उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। साथ ही गौशाला की व्यवस्था आदि से सम्बन्धित प्रतिदिन की फोटो/वीडियो व्हाट्सअप ग्रुप Local Bodies Jalaun में अपलोड करना सुनिश्चित करें। इस कार्य में किसी प्रकार की शिथिलता नहीं की जाये।

(विशाल कुमार यादव)

अपर जिलाधिकारी (न०गं०)

जनपद- जालौन।

प्रतिलिपि- जिलाधिकारी महोदया जनपद-जालौन को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

(विशाल कुमार यादव)

अपर जिलाधिकारी (न०गं०)

जनपद- जालौन।



कार्यालय जिलाधिकारी,
जालौन ।

Annexure-R-8

46


पत्र संख्या : 74 /ओ0एस0डी0

दिनांक : अक्टूबर 16, 2022

जिला विकास अधिकारी,
जालौन ।

दिनांक 12.10.2022 को कलेक्ट्रेट स्थित सभागार मे आयोजित गौशालाओं में संरक्षित गौवंश का संरक्षण सुदृढ़ एवं सुव्यवस्थित सुनिश्चित कराये जाने की समीक्षा बैठक के दौरान विकास खण्ड कुठोंद क्षेत्र के कुछ व्यक्ति कथित गौ-आश्रय स्थलों/स्थाई-अस्थायी गौशालाओं में आपूर्ति किये जा रहे भूसा को लेकर आए और यह भूसा अधोहस्ताक्षरी को अवलोकित कराया गया। उनका कथन था इतनी घटिया किरम का भूसा जनपद की गौशालाओं में आपूर्ति किया जा रहा है। यह भूसा देखने में अत्यंत घटिया किरम का परिलक्षित हो रहा था।

इस आपूर्ति किये जा रहे भूसा के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आपूर्तिकर्ता ठेकेदार एवं संबंधित कर्मचारियों की इसमें संलिप्तता होने से इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि ग्रामीण गौशालाओं के लिए विकास खण्ड स्तर पर एक समिति गठित कर दी जाय जो आपूर्ति किये जा रहे भूसा की गुणवत्ता सुनिश्चित करेगी और इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगी की भूसा की गुणवत्ता मानक के अनुरूप है, तदोपरान्त ही भूसा की आपूर्ति का भुगतान किये जाने की कार्यवाही अमल में लाई जाए। मानक विहीन अथवा अधोमानक भूसा आपूर्ति होने की स्थिति में संबंधित खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी होंगे।


(चाँदनी सिंह)

जिलाधिकारी, जालौन।

पत्र पृष्ठांकन संख्या - /ओ0एस0डी0 तददिनांक

प्रतिलिपि :-

1. मुख्य विकास अधिकारी जालौन।
2. मुख्य पशु चिकित्साधिकारी जालौन।
3. समस्त खण्ड विकास अधिकारी जालौन।


(चाँदनी सिंह)

जिलाधिकारी, जालौन।

समस्त अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत
जनपद- जालौन।

विषय:- निकायों में प्रचलित विकास कार्यों का निरीक्षण करने व कान्हा गौशाला के उचित प्रबन्धन के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में आप अवगत ही है कि शासन/निदेशालय स्तर से निकायों में प्रचलित विकास कार्यों को गुणवत्तापरक व निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूर्ण कराने के सम्बन्ध में निरंतर निर्देश प्राप्त हो रहे हैं। जबकि निकाय स्तर पर प्रचलित विकास कार्य काफी समय से लम्बित चल रहे हैं। ऐसी स्थिति में उक्त कार्यों का सतत पर्यवेक्षण करते हुये उन्हें निर्धारित समय-सीमा के अन्दर मानक के अनुरूप पूर्ण कराया जाना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है कि:-

- 1- अधिशासी अधिकारी अपनी-अपनी निकाय में प्रचलित कार्यों में से कम से कम पाँच कार्यों का प्रतिदिन अवर अभियंताओं के साथ स्थलीय निरीक्षण करेंगे और निरीक्षण की फोटो सहित आख्या उसी दिन व्हाट्सअप के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेंगे।
- 2- समस्त अधिशासी अधिकारी अपनी-अपनी निकाय में स्थापित/संचालित कान्हा गौशाला का सप्ताह में प्रत्येक गुरुवार को निरीक्षण करते हुये गौशाला की व्यवस्थाओं की समीक्षा करेंगे और फोटो सहित समीक्षात्मक टिप्पणी अगले कार्यदिवस में अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगे।

अतः उपरोक्त बिन्दुओं पर अपेक्षित कार्यवाही समयान्तर्गत पूर्ण कराना सुनिश्चित करें तथा कृत कार्यवाही से अवगत भी करायें। इसमें किसी प्रकार की शिथिलता के लिये आप स्वयं ही उत्तरदायी होंगे।

(विशाल कुमार यादव)
अपर जिलाधिकारी (न0गं0)
जनपद- जालौन।

प्रतिलिपि- जिलाधिकारी महोदया, जनपद-जालौन को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

(विशाल कुमार यादव)
अपर जिलाधिकारी (न0गं0)
जनपद- जालौन।

कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी डकोर, (जालौन)

48

पत्रांक 1958/लेखा/गौवरा/2022-23

दिनांक 11-11-22

समस्त

ग्राम विकास अधिकारी

ग्राम पंचायत अधिकारी

विकास खण्ड डकोर

(चाँदनी सिंग)
जिलाधिकारी, ज

जिलाधिकारी महोदया ने अपने कार्यालय पत्रांक 74/ओएसओडी/ दिनांक 18.10.2022 के द्वारा निर्देशित किया है कि स्टाई/अरखाई गौशालाओं में आपूर्ति किये जा रहे भूसा की गुणवत्ता सुनिश्चित कराने हेतु एक समिति गठित कर दी जाये जो आपूर्ति किये जा रहे भूसे की गुणवत्ता मानक के अनुरूप होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगी। तदोपरान्त ही भूसा की आपूर्ति का मुग्तान किये जाने की कार्यवाही अमल में लाई जाये।

उक्त निर्देशों के क्रम में जिला विकास अधिकारी महोदया द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 1329 दिनांक 17.10.2022 के द्वारा विकास खण्ड स्तर पर विस्तरीय समिति गठित की गई है।

- 1- पशु चिकित्साधिकारी- अध्यक्ष
- 2- सा. विकास अधिकारी- (पं.) सदस्य
- 3- सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव सदस्य

उक्त के क्रम में आप लोगों को आदेशित किया जाता है कि उपर्युक्त गौशालाओं हेतु आपूर्ति किये गये भूसे की गुणवत्ता की जाँच गठित समिति से कराकर इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें कि भूसा की गुणवत्तापूर्ण है। तत्पश्चात् वित्तीय नियमानुसार मुग्तान की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। मानक विहीन अथवा अधोमानक भूसा आपूर्ति होने पर सम्बन्धित समिति पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।

खण्ड विकास अधिकारी
डकोर (जालौन)

पत्रांक 1958/लेखा/गौवरा/2022-23

दिनांक

प्रतिलिपि- 1- मुख्य विकास अधिकारी महोदया जालौन स्थान उरई की सेवा में सूचनाार्थ प्रेषित।

✓ 2- जिलाधिकारी महोदया की सेवा में अवलोकनार्थ प्रेषित।

खण्ड विकास अधिकारी
डकोर (जालौन)

526

Annexure-R/II



कार्यालय जिलाधिकारी, 49 जालौन ।

पत्र संख्या : 162 /ओ0एस0डी0

दिनांक : नवम्बर 17 2022

आदेश

क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान पाया गया है कि नगर क्षेत्र-उरई की सड़कों पर निराश्रित व बेसहारा गौवंश अनियंत्रित रूप से विचरण करते रहते हैं जिससे जनसामान्य को आने-जाने में परेशानी होने तथा दुर्घटना होने की सम्भावना बनी रहती है। ऐसी स्थिति में उक्त निराश्रित एवं बेसहारा गौवंशों को कैटिल कैचर के माध्यम से पकड़कर आस-पास (समीपस्थ) की गौशालाओं में संरक्षित किये जाने हेतु टीमों का गठन किया गया है।

अतः उपरोक्त कार्यवाही हेतु गठित टीमों के सतत पर्यवेक्षण हेतु श्री सौरभ पाण्डेय अतिरिक्त मजिस्ट्रेट उरई एवं श्री चन्द्रकान्त तिवारी, नायब तहसीलदार उरई को नामित किया जाता है। साथ ही उन्हें निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त टीमों के साथ मौकों पर उपस्थित रहकर निराश्रित व बेसहारा गौवंशों को सकुशल गौशाला में संरक्षित कराने की कार्यवाही अपनी देखरेख में पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा।

(चाँदनी सिंह)

जिलाधिकारी, जालौन

पत्र पृष्ठांकन संख्या 162 /ओ0एस0डी0 तददिनांक
प्रतिलिपि :-

1. पुलिस अधीक्षक, जालौन को इस आशय से प्रेषित कि उक्त कार्यवाही के दौरान शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु गठित टीमों के साथ आवश्यक पुलिस बल तैनात कराने का कष्ट करें।
2. मुख्य विकास अधिकारी जालौन।
3. अपर जिलाधिकारी(वि0 एवं रा0)/नमामि गंगे, जालौन।
4. नगर मजिस्ट्रेट उरई/उप जिलाधिकारी, उरई/तहसीलदार उरई।
5. श्री सौरभ पाण्डेय, अतिरिक्त मजिस्ट्रेट उरई।
6. मुख्य पशु चिकित्साधिकारी जालौन को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अधीनस्थ पशु चिकित्साधिकारियों/पशुधन प्रसार अधिकारी की ड्यूटी अपने स्तर से गठित टीमों के साथ लगाते हुए उक्त कार्यवाही के दौरान उपस्थित कराना सुनिश्चित करें।



कार्यालय जिलाधिकारी, जालौन ।

पत्र संख्या 168/ओ0एस0डी0

दिनांक नवम्बर 20, 2022

1. श्री विशाल कुमार यादव,
अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे), जालौन।
2. डा0 अवधेश सिंह,
जिला पंचायत राज अधिकारी, जालौन।

कृपया जनपद जालौन की समस्त गौशालाओं में संरक्षित गोवशों को ठंड से बचाव, उनके रहने व खाने पीने की समस्त आवश्यक व्यवस्थाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु सभी गौशालाओं में विद्यमान स्थिति/कमियों का भौतिक रूप से सत्यापन कराया जाना नितान्त आवश्यक है। नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत क्षेत्रान्तर्गत संचालित गौशालाओं की अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे) जालौन एवं खण्ड विकास क्षेत्रान्तर्गत स्थिति समस्त गौशालाओं की जिला पंचायत राज अधिकारी, जालौन से प्राप्ति गयी कमियों की संकलित सूचना प्राप्त करने हेतु प्रारूप तैयार किया गया है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत क्षेत्रान्तर्गत संचालित गौशालाओं की सम्बन्धित अधिशासी अधिकारियों से एवं खण्ड विकास क्षेत्रान्तर्गत संचालित गौशालाओं की सम्बन्धित ग्राम प्रधान/सचिव के हस्ताक्षर से सूचना प्राप्त कर निर्धारित प्रारूप पर संकलित करते हुए वॉछित सूचना तीन दिवस में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे जिससे सर्दी के प्रकोप के पूर्व ही समस्त गौशालाओं में आवश्यक व्यवस्थाएं समय रहते हुए पूर्ण करायी जा सकें। यह कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण व समयबद्ध है। इसलिये वॉछित सूचना बिना अनुरम्भक पत्र की प्रतीक्षा किये समय से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
संलग्नक - निर्धारित प्रारूप।

(चौदनी सिंह)
जिलाधिकारी, जालौन।

कार्यालय मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, जनपद जालौन

पत्रांक 1948/गो आश्रय स्थल/2022-23


दिनांक - 21-11-2022 51

समस्त उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी/
पशु चिकित्साधिकारी,
जनपद जालौन

विषय- समस्त प्रकार के गोआश्रय स्थलों की ठण्ड से बचाव की व्यवस्था सम्बन्धी जांच आख्या प्रेषित करने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक जिलाधिकारी महोदया के आदेश एवं अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय पत्रांक 1864/गु0प0चि0310/गो आश्रय स्थल/2022-23 दिनांक 10.11.2022 जो आपको भी समबोधित है के द्वारा आपसे समस्त प्रकार के गोआश्रय स्थलों (कांजी हाऊस, कान्हा गौशाला, गौवंश वन्यविहार, स्थाई गोआश्रय स्थल, आस्थाई गोआश्रय स्थल) में अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, जिला पंचायत राज अधिकारी, खण्ड विकास अधिकारियों, अधिशाषी अधिकारियों नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत के माध्यम से सर्दी के बचाव हेतु शेडों को तिरपाल से कवर करवाने के निर्देश दिये गये थे। इसी आदेश के क्रम में दिनांक 19.11.2022 को जिलाधिकारी महोदया, ने समस्त प्रकार के गोआश्रय स्थलों की जांच आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं।

उक्त के सम्बन्ध आपको निर्देशित किया जाता है कि समस्त प्रकार के गो आश्रय स्थलों का मौके पर जाकर सत्यापन करे कि सभी गोआश्रय स्थलों में सर्दी से बचाव के लिये टीन शेड है या नहीं तथा उन्हें तिरपाल से कवर किया गया है या नहीं इस सम्बन्ध में अपने-अपने क्षेत्र की समस्त प्रकार की गौशालाओं की तीन दिवस के अन्दर जांच कर जांच आख्या अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जिससे जांच आख्या जिलाधिकारी महोदया को प्रेषित की जा सकें।



मुख्य पशु चिकित्साधिकारी
जनपद जालौन

पत्रांक 1948/गो आश्रय स्थल/2022-23

दिनांक - 21-11-2022

प्रतिलिपि- निम्नलिखित की सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 01- मुख्य विकास अधिकारी, जनपद जालौन।
- 02- जिलाधिकारी महोदया, जनपद जालौन की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
- 03- अपर निदेशक ग्रेड-2 पशुपालन विभाग झांसी मण्डल झांसी।
- 04- निदेशक प्रशासन एवं विकास पशुपालन विभाग उ0प्र0 लखनऊ।


मुख्य पशु चिकित्साधिकारी
जनपद जालौन

निरीक्षण आख्या

529

Annexure

R/14

अधिकृत का नाम:-

डॉ. अरुण कुमार

पदनाम:-

मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी

नगर पालिका परिषद-


उरई

52

निरीक्षण स्थल-

अरथाई गौ आश्रय स्थल जी0आई0सी0 उरई

आज दिनांक 23-11-2022 को पूर्वाह्न 09:45 बजे अरथाई गौ आश्रय स्थल जी0आई0सी0 नगर पालिका परिषद उरई का निरीक्षण किया गया, निरीक्षण के समय 14 गीवंश पाये गये तथा दो गीवंश में लम्पी बीमारी के लक्षण मिले थे, जो उपचार के उपरान्त लगभग ठीक हो गये हैं, गौशाला में ड्यर टेकर मौके पर उपस्थित था तथा गौशाला में भूसा, पानी आदि की व्यवस्था पायी गयी एवं ताफ सफाई भी पायी गयी।



मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी
जनपद-जालौन।

कार्यालय मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, जनपद-जालौन।

पत्रांक 1960

/निरीक्षण आख्या/2022-23

दिनांक:- 23.11.2022

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01- अधिशापी अधिकारी, नगर पालिका परिषद उरई।

02- अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे), जनपद जालौन।

03- मुख्य विकास अधिकारी, जनपद जालौन।

04- जिलाधिकारी महोदया, जनपद जालौन की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

565

LBA
[Signature]

ADM (N/A),
Jalauh
25-11-2022

मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी,
जनपद-जालौन।



530

Annexure-R/15

कार्यालय जिलाधिकारी, 53
जालौन ।

पत्र संख्या : 181 /ओ0एस0डी0
श्री सुभाष चन्द्र त्रिपाठी,
जिला विकास अधिकारी,
जालौन।

दिनांक : नवम्बर 25, 2022

कृपया इस कार्यालय के पत्र संख्या 74/ओ0एस0डी0 दिनांक 16.10.2022 का सन्दर्भ ले जिसके द्वारा विकास खण्ड कुठौन्द क्षेत्र के कुछ व्यक्तियों द्वारा कथित गौ-आश्रय स्थलो/स्थाई-अस्थाई गौशालाओं में किये जा रहे घटिया किस्म के भूसा की आपूर्ति की शिकायत पर गौशालाओं में आपूर्तिकर्ता ठेकेदार द्वारा मानक के विपरीत आपूर्ति किये जा रहे भूसा की गुणवत्ता की जाँच हेतु विकास खण्ड स्तर पर एक समिति बनाये जाने एवं भूसा की गुणवत्ता मानक के अनुरूप है का प्रमाण प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थे परन्तु आप द्वारा इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी तत्कम में वस्तुस्थिति से अवगत नहीं कराया गया है और न ही कोई आख्या प्रस्तुत की गयी है। यह स्थिति अत्यन्त खेदजनक है।

अतः आप उक्त के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करते हुए तीन दिवस के अन्दर गौशालाओं में आपूर्ति किये जा रहे भूसे की गुणवत्ता की जाँच हेतु ब्लाक स्तर पर गठित की गयी समिति और समिति द्वारा अब तक की गयी कार्यवाही की आख्या स्पष्टीकरण सहित प्रस्तुत करें। साथ ही यह भी निर्देशित किया जाता है कि जनपद की समस्त गौशालाओं में हरा चारा की क्या स्थिति है और यह हरा चारा किन श्रोतों से अर्जित कर गोवशों को उपलब्ध कराया जा रहा है इसकी भी गौशालावार सूचना तीन दिवस के अन्दर प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(चाँदनी सिंह)

जिलाधिकारी, जालौन।

पत्र पृष्ठांकन संख्या 181 /ओ0एस0डी0 तददिनांक

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य विकास अधिकारी जालौन।
2. मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, जालौन।
3. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, जनपद जालौन।

(चाँदनी सिंह)

जिलाधिकारी, जालौन।

531

Annexure-R/16

कार्यालय जिलाधिकारी, जनपद-जालौन।

दिनांक-05-12-2022

पत्रांक 2069 / गौ0आ0स्थ0 / एन0जी0टी0 / मु0प0ा0/ग0आ0 / 2022-23

54

- 01- अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत जनपद जालौन।
- 02- जिला पंचायत राज अधिकारी, जनपद-जालौन।
- 03- समस्त खण्ड विकास अधिकारी, जनपद-जालौन।
- 04- समस्त अधिशाथी अधिकारी, नगर पंचायत / नगर पालिका परिषद, जनपद-जालौन।
- 05- समस्त उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी / पशु चिकित्सा अधिकारी, जनपद-जालौन।

विषय:- एन0जी0टी0 ओ0ए0 नं0 394 / 2022 में आदेश दिनांक 17-11-2022 को दिये गये निर्देशों का अनुपालन करने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक एन0जी0टी0(बी0वी0) ओ0ए0 नं0 394 / 2022 एन0जी0टी0 आदेश दिनांक 17-11-2022 के अनुपालन में जनपद की समस्त गौशालाओं में ठण्ड से बचाव के लिए अधिकतर गौशालाओं में टीन शेट तिरपाल आदि से बन्द नहीं किये गये हैं, गौवंशों को चारे में पराली खिलायी जा रही है, जिससे गौवंशों की मृत्यु दर बढ़ रही है एवं बीमार और घायल गौवंशों को समय से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं करायी जा रही है तथा गौ आश्रय स्थलों में क्षमता से अधिक गौवंशों को संरक्षित रखे जा रहा है। इस व्यवस्था पर एन0जी0टी0 ने खेद व्यक्त करते हुए दिशा निर्देश दिये हैं।

उक्त के सम्बन्ध में आप सगी को निर्देशित किया जाता है, कि एन0जी0टी0 ओ0ए0 नं0 394 / 2022 आदेश दिनांक 17-11-2022 के संलग्न निर्देशों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें। अन्यथा आपका उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए कड़ी कार्यवाही की जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

संलग्न:- एन0जी0टी0 ओ0ए0 नं0 394 / 2022 में आदेश दिनांक 17-11-2022

जिलाधिकारी,
जनपद-जालौन।

पत्रांक / उक्त / 2022-23 दिनांक:-

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 01- मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, जनपद-जालौन।
- 02- अपर जिलाधिकारी, (नमामि गंगे), जनपद-जालौन।
- 03- अपर जिलाधिकारी, (वि0 एवं रा0), जनपद-जालौन।
- 04- मुख्य विकास अधिकारी, जनपद-जालौन।
- 05- अपर निदेशक, ग्रेड-2, पशुपालन विभाग, झॉंसी मण्डल झॉंसी।
- 06- निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
- 07- अपर मुख्य सचिव, पशुधन, उ0प्र0 शासन लखनऊ।

जिलाधिकारी,
जनपद-जालौन।

H. Singh
-EVO

532 Annexure-R/17
कार्यालय जिलाधिकारी, जालौन स्थान-उरई। 55

पत्र संख्या 1674/21-एल0बी0ए0


(गौशाला)

उरई: दिनांक 08 दिसम्बर, 2022

आदेश

अधिकासी अधिकारी नगर पालिका परिषद कोंच द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 20.9.2022 के अनुसार कस्वा कोंच में संचालित कान्हा गौशाला के प्रभारी श्री हरीशंकर निरंजन सफाई निरीक्षक व डा0 राजेश कुमार प्रभारी पशु चिकित्साधिकारी द्वारा गौशाला की व्यवस्था में पर्याप्त रूचि नहीं लेने और गौशाला का समुचित प्रबन्धन नहीं करने के कारण अधोहस्ताक्षरी के आदेश पत्रांक 1392/21-एल0बी0ए0 उरई दिनांक 21.9.2022 के द्वारा उनके माह सितम्बर 2022 के वेतन आहरण पर रोक लगाते हुये उनसे स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये थे।

उपरोक्त के सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा अपना अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया है। उनके द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण आदि पर विचार करते हुये श्री हरीशंकर निरंजन सफाई निरीक्षक नगर पालिका परिषद कोंच व डा0 राजेश कुमार प्रभारी पशु चिकित्साधिकारी भेड के माह सितम्बर 2022 के वेतन आहरण पर लगी रोक तत्काल प्रभाव से इस कठोर चेतावनी के साथ समाप्त की जाती है कि "वह भविष्य में कान्हा गौशाला के प्रबन्धन व व्यवस्था में पर्याप्त रूचि लेकर सौंपे गये कार्यों/दायित्वों का भली प्रकार से निर्वहन करेंगे। भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति व किसी भी प्रकार से लापरवाही नहीं की जायेगी।



(चांदनी सिंह)

जिलाधिकारी, जालौन।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अपर जिलाधिकारी (वि-रा) जालौन स्थान-उरई।
- 2- अध्यक्ष/अधिकासी अधिकारी न0पा0परि0 कोंच, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 3- मुख्य पशु चिकित्साधिकारी जनपद जालौन।
- 4- सभी सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारियों को अनुपालनार्थ।



(चांदनी सिंह)

जिलाधिकारी, जालौन।

9/11

533

Annexure-R/18

कार्यालय मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, जालौन स्थान उरई 56

पत्रांक - 2142/गौ आश्रय स्थल/2022-23

दिनांक - 16.12.2022


समस्त उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी/

पशु चिकित्साधिकारी, जनपद जालौन।

विषय- मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नई दिल्ली के पी0वी0ओ0ए0 नं0 394/2022 में आदेश दिनांक 17.11.2022 का अनुपालन करने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक जिला विकास अधिकारी महोदय के कार्यालय पत्रांक 1404/एसटी-डीडीओ/विविध पत्रा./2022-23 दिनांक 14.12.2022 का अवलोकन करने का कष्ट करें जा आपको सम्बोधित है एवं अधोहस्ताक्षरी को पृष्ठांकित है जिसकी छायाप्रति संलग्न है के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नई दिल्ली के द्वारा दिनांक 17.11.2022 को दिये गये निर्देशों का कडाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करें इस कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरती जाये अगर उच्च अधिकारियों के भ्रमण के समय कोई शिकायत मिलती है तो आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

संलग्न - उपरोक्तानुसार।


मुख्य पशु चिकित्साधिकारी
जनपद जालौन।

पत्रांक - 2142 /उक्त/2022-23

दिनांक - 16.12.2022

प्रतिलिपि- निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01- जिला विकास अधिकारी, जनपद जालौन।

02- मुख्य विकास अधिकारी, जनपद जालौन।

03- जिलाधिकारी महोदय जनपद जालौन की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

04- अपर निदेशक ग्रेड-2 पशुपालन विभाग झांसी मण्डल झांसी।

05- निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।


मुख्य पशु चिकित्साधिकारी
जनपद जालौन।

कायालय नगर पालिका परिषद कालपी-जालौन

पत्रांक : 1437/न.पा.परि.कालपी/अनु.आ./2022 दिनांक 10 दिसम्बर, 2022

सेवा में,

श्रीमान् अपर जिलाधिकारी (न0गं0),
जालौन स्थान उरई।

Annexure-R/19

57


विषय: मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण में विचाराधीन वाद ओ0ए0 सं0 394/2022 पुष्पेन्द्र कुमार बनाम खण्ड विकास अधिकारी व अन्य में पारित आदेश दिनांक 17.11.2022 का अनुपालन करने के सम्बन्ध में।


महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 1702/21-एल0बी0ए0 (निर्वा0/22) उरई दिनांक 15 दिसम्बर, 2022 के अनुपालन में वांछित अनुपालन आख्या निम्नलिखित बिन्दुवार सेवा में सादर प्रेषित है :-

1. मु0 आलमपुर कालपी स्थित अस्थाई गौशाला में गोवंश के भरण-पोषण हेतु गोहूँ का भूसा व हारा चारा एवं खरी चोखर आदि दिया जाता है। अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है।
2. मु0 आलमपुर कालपी स्थित अस्थाई गौशाला में गोवंश को शर्दी/ओस आदि से बचाव हेतु टीनशेड मय त्रिपाल के उपलब्ध है। अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है।
3. मु0 आलमपुर कालपी स्थित अस्थाई गौशाला में लगभग 2 एकड़ पर्याप्त भूमि उपलब्ध है। उपरोक्तानुसार शर्दी से बचाव व भरण-पोषण की पर्याप्त व्यवस्था की जाती है। अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है।
4. मु0 आलमपुर कालपी स्थित अस्थाई गौशाला के लम्पी वायरस से ग्रसित गोवंश को मु0 राजघाट स्थित एम0आर0एफ0 सेन्टर में शिफ्ट कर इलाज कराये जाने की व्यवस्था की गयी है। अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है।
5. मु0 आलमपुर कालपी स्थित अस्थाई गौशाला के घायल, बीमार एवं वृद्ध गोवंश का इलाज उक्त गौशाला परिसर में पशुचिकित्सक द्वारा कराया जाता है। अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है।

6. मु० आलमपुर कालपी स्थित अस्थायी गौशाला में नगर जन के प्रवेश पर किसी प्रकार की रोक नहीं है। अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है।
7. मु० आलमपुर कालपी स्थित अस्थायी गौशाला में उपलब्ध गोवंश को पालिका कर्मियों द्वारा प्रतिदिन गोवंश की उचित व्यवस्था की जाती है। अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है।


 उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी
 कालपी-जालौन


 अधिशासी अधिकारी
 नगर पालिका परिषद कालपी
 जनपद-जालौन

कार्यालय जिलाधिकारी, जनपद-जालौन।

पत्रांक 2288/गौ0आ0स्थ0/गु0प0चि0अ0/ठण्ड से बचाव/2022-23 दिनांक:- 30.12.2021

59

- 1-अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, जनपद-जालौन।
- 2-जिला पंचायत राज अधिकारी, जनपद-जालौन।
- 3-समस्त अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत जनपद-जालौन।
- 4-समस्त खण्ड विकास अधिकारी, जनपद-जालौन।
- 5-समस्त उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी/पशु चिकित्साधिकारी, जनपद-जालौन।

विषय:- गौ आश्रय स्थलों में संरक्षित गौवंश को ठण्ड से बचाने के सम्बन्ध में।


उपरोक्त विषयक शासन के पत्र सं० 2516/सैतीस-2-2022-5(53)/18 टी०सी०-2 पशुधन अनुभाग-2 दिनांक 14-12-2022 एवं निदेशक प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ०प्र० लखनऊ के कार्यालय पत्र सं० 1750/सामा०-2/बारह-630/2021-22 दिनांक 19-12-2022 के क्रम में अवगत कराना है, कि निराश्रित/बेसहारा गौवंश का संरक्षण एवं भरण पोषण सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में है। वर्ष 2019 में प्राख्यापित नीति के माध्यम से प्रदेश में स्थाई/अस्थायी गौ आश्रय स्थलों की स्थापना कर 9 लाख से अधिक निराश्रित गौवंशों को संरक्षित कर उनका भरण पोषण किया जा रहा है। गौवंश को ठण्ड से बचाव हेतु आवश्यक दिशा निर्देश समय-समय पर दिये गये हैं।

2-वर्तमान में प्रदेश में शीत ऋतु (ठण्ड) के दृष्टिगत गौवंश को ठण्ड से बचाव हेतु पर्याप्त उपाय किया जाना नितान्त आवश्यक है। निराश्रित गौवंश को ठण्ड से बचाने हेतु पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक आहार जिसमें प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट उपलब्ध हो एवं स्वच्छ ताजा पीने के पानी की उपलब्धता नितान्त आवश्यकता है। गौवंश को ठण्ड से बचाव हेतु आश्रय स्थलों में शीत लहर के प्रभाव को रोकने की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने के लिए त्रिपाल, बोर, पराली इत्यादि का प्रयोग किया जाना चाहिए। वृद्ध अशक्त व नवजात गौवंश पर विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है जिसके लिए विशेष व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा।

3-अतः शीत ऋतु में ठण्ड से गौवंश को बचाने हेतु समुचित प्रबन्धन कराये जाने के लिए प्रत्येक गौ आश्रय स्थल पर निरन्तर प्रभावी निगरानी कराते हुए गौवंश को ठण्ड से बचाव के लिए शेड को विधिवत कवर कराया जाये एवं गौवंश हेतु जूट के बोरे के झूल का उपयोग किया जाये। आवश्यकता पडने पर जनपद स्तर पर विभिन्न संस्थाओं के पास उपलब्ध अनुपयोगी बोरों/टाट आदि को गौ आश्रय स्थलों को उपलब्ध कराकर प्रयोग में लिया जाये। गौ आश्रय स्थलों में विछावन हेतु पराली/लकड़ी बुरादा, गन्ने की खुई आदि का प्रयोग किया जा सकता है। किसी भी स्थिति में रात्रि के समय गौवंश खुले स्थान पर न रहें और दिन में गौवंश को पर्याप्त धूप में रखा जाए। आश्रय स्थलों की समुचित साफ-सफाई सुनिश्चित करायी जाए, आश्रय स्थलों में पानी, गोबर, गोमूत्र आदि की निकासी की समुचित व्यवस्था की जाये, और समय-समय पर विछावन को बदला जाना अति आवश्यक है। गौ आश्रय स्थलों पर पर्याप्त मात्रा में भूसा/पराली, हरा चारा,

गुड इत्यादि के साथ-साथ पीने हेतु स्वच्छ/तेज पानी की व्यवस्था सुनिश्चित कराधी जाए, यथावश्यकता अलाव धी भी व्यवस्था की जाय, ताकि शीत ऋतु में गौवंश के स्वास्थ्य को बनाये रखने के साथ-साथ ठण्ड से होने वाली किररी भी हानि को रोका जा सके।

उक्त के सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है, कि उपर्युक्तानुसार निराश्रित गौवंश को ठण्ड से बचाने के लिए आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।




जिलाधिकारी,
जनपद-जालौन।

पत्रांक 2288 /उक्त/2022-23

दिनांक:- 30-12-2022

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 01- मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, जनपद-जालौन।
- 02- समस्त उपजिलाधिकारी, जनपद-जालौन।
- 03- जिला विकास अधिकारी, जनपद-जालौन।
- 04- अपर जिलाधिकारी (नगाणि मंगे), जनपद-जालौन।
- 05- मुख्य विकास अधिकारी, जनपद-जालौन।
- 06- अपर निदेशक, रोड-2, पशुपालन विभाग, झाँसी मण्डल झाँसी।
- 07- निदेशक, प्रसारण एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
- 08- आयुक्त महोदय, झाँसी मण्डल झाँसी की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
- 09- अपर मुख्य सचिव, पशुधन उ0प्र0 शारान लखनऊ की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।



जिलाधिकारी,
जनपद-जालौन।
H. Singh
2022

कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, जनपद-जालौन।

पत्रांक 2302 / गौ0आ0स्थ0 / एन0जी0टी0 / मु0प0चि0अ0 / 2022-23

दिनांक:- 30.12.2021

- 01-अधिसाधी अधिकारी, नगर पालिका परिषद उरई, कालपी।
 02-अधिसाधी अधिकारी नगर पंचायत कदौरा, रामपुरा।
 03-खण्ड विकास अधिकारी, कदौरा, डकोर, कुठौन्द।
 04-उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, उरई सदर, कालपी।
 05-पशु चिकित्सा अधिकारी, कदौरा, डकोर, रामपुरा, कुठौन्द।

विषय:- गौ राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0 394 / 2022 पुष्पेन्द्र कुमार बनाम खण्ड विकास अधिकारी कदौरा व अन्य में पारित आदेश दिनांक 17-11-2022 के क्रम में निम्न गौशालाओं की अनुपालन आख्या प्रेषित करने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक विशेष सचिव पशुधन उ0प्र0 शासन लखनऊ के कार्यालय पत्र सं0 2501 / सी0सी-2-2022 पशुधन अनुभाग-2 दिनांक 13-12-2022 के द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0 394 / 2022 पुष्पेन्द्र कुमार बनाम खण्ड विकास अधिकारी कदौरा व अन्य पारित आदेश दिनांक 17-11-2022 के क्रम में श्री पवन द्विवेदी के ई मेल पत्र दिनांक 06-12-2022 (छाया प्रति सलग्न) के द्वारा निम्न गौशालाओं की कमियों की शिकायत की गयी। जिसकी जांच आख्या प्रेषित करने के निर्देश प्राप्त हुए है।

क्र0सं0	विकास खण्ड का नाम	नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत का नाम	स्थायी गौ आश्रय स्थल का नाम	अस्थायी गौ आश्रय स्थल का नाम
1	कदौरा		चमारी	कुसमरा बावनी, खुटमिली, उदमपुर, लोना, नरमपुरा, आलमगीर, डकोर, उदमपुर
2	-	नगर पंचायत कदौरा	कान्हा गौशाला कदौरा	-
3	डकोर	-	-	नामपुरा
4	कुठौन्द	-	-	नौरजपुर, जहटाली
5	-	नगर पंचायत रामपुरा	कान्हा गौशाला रामपुरा	-
6	-	नगर पालिका परिषद कालपी	-	आलमपुर कालपी
7	-	नगर पालिका परिषद उरई	कान्हा गौशाला उरई	-

उपरोक्त समस्त गौशालाओं में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के दिनांक 17-11-2022 के आदेशों का अनुपालन नहीं हो रहा है। उपरोक्त समस्त गौशालाओं की अव्यवस्थाओं का श्री पवन कुमार ने अपने दिनांक 06-12-2022 के ई मेल द्वारा शासन को फोटोग्राफ एवं वीडियो सहित शिकायत प्रेषित की है।

1. कुरहना आलमगीर विकास खण्ड कदौरा की गौशाला में दिनांक 20-11-2022 को जीवित गाय को कुत्ते खा रहे थे।

2. समस्त गौशालाओं में गौवंशों को खुले आसमान के नीचे रखा जा रहा है। ठण्ड से बचाव की कोई व्यवस्था नहीं है। जिससे उन्हें गर्म रखा जा सके, और उन्हें कपकपाती ठण्ड एवं भीषण हवा से बचाया जा सके, प्रतिदिन रात गाय एवं छोटे बछड़े कपकपाती ठण्ड एवं ठण्डी हवा से मर रहे हैं।
3. मीडिया रिपोर्ट एवं फोटोग्राफ दर्शाते हैं, प्रतिदिन गाय मर रही है।
4. दिनांक 06-12-2022 को ई मेल सभी जवाब देय अधिकारियों को भेजा गया है, कि गाय/बछ्चे खुले आसमान के नीचे खड़े हैं एवं पराली को चारे के रूप में लगातार खा रहे हैं। सभी जनपद जालौन की गौशालाओं में प्रत्येक रात को गाय मर रही है तथा सी0पी0सी0वी0 गाइड लाइन, आई0सी0ए0आर0 के गौशाला मैनुअल व मा0 एन0जी0टी0 के दिनांक 27-05-2021, 14-08-2022 व 17-11-2022 के आदेशों का उल्लंघन हो रहा है।
5. जीवित गायों को कुत्तों के द्वारा खाना बहुत दर्दनाक है, जोकि भारतीय संस्कृति के विरुद्ध है। मा0 एन0जी0टी0 कोर्ट के द्वारा दिनांक 17-11-2022 को याद कराया है, कि भगवान श्री कृष्ण की गाय एवं भगवान शिव के बैल रात में कड़कड़ाती सर्दी में खुले आसमान के नीचे पराली खा रहे हैं और जीवित गायों को कुत्ते नोच रहे हैं। जबकि दिनांक 17-11-2022 को मा0 एन0जी0टी0 ने इस प्रतिबन्धित किया है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है, उपरोक्त के सम्वन्ध में आप अपने संयुक्त जाँच आख्या साक्ष्य एवं फोटोग्राफ सहित तीन दिवस के अन्दर मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि आख्या शारान को प्रेषित की जा सके। एवं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनांक 17-11-2022 के निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।


मुख्य विकास अधिकारी,
जनपद-जालौन।

पत्रांक 2302/उक्त/2022-23

दिनांक:- 30.12.2022

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 01- जिला पंचायत राज अधिकारी, जनपद-जालौन।
- 02- जिला विकास अधिकारी, जनपद-जालौन।
- 03- अपर जिलाधिकारी (नमाभि गंगे), जनपद-जालौन।
- 04- जिलाधिकारी महोदया, जनपद-जालौन की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
- 05- अपर निदेशक, ग्रेड-2, पशुपालन विभाग, झॉंसी मण्डल झॉंसी।
- 06- निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।


मुख्य विकास अधिकारी,
जनपद-जालौन।
CVO

विषय- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0सं0 394/2022 पुष्पेन्द्र कुमार बनाम खण्ड विकास अधिकारी कदौरा व अन्य में पारित आदेश दिनांक 17.11.2022 के क्रम में निम्न गौशालाओं की अनुपालन आख्या के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया मुख्य विकास अधिकारी जालौन स्थान उरई के पत्र सं0 2302/गौआ0स्थ0/एन0जी0टी0/गु0प0चि0अ0/2022-23 दिनांक 30.12.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0 394/2022 पुष्पेन्द्र कुमार बनाम खण्ड विकास अधिकारी कदौरा व अन्य पारित आदेश दिनांक 17.11.2022 के क्रम में श्री पवन द्विवेदी के ई-मेल पत्र दिनांक 06.12.2022 (छाया प्रति संलग्न) के द्वारा गौशालाओं की कमियों की शिकायत की गयी है, जिसकी बिन्दुवार आख्या आपकी सेवा में सादर प्रेषित है।

विन्दु सं0 01- अवगत कराना है कि नगर पालिका परिषद, उरई द्वारा ग्राम सरसौकी में स्थाई कान्हा गौशाला का संचालन किया जा रहा है। जिसमें ठण्ड से बचाव हेतु टीनशेड, त्रिपाल और अलाव की व्यवस्था की गयी है तथा बछड़ों को बोरे के कोट पहनाये जाते हैं। गायों को बीमार होने के उपरान्त तत्काल पशु चिकित्साधिकारी से सम्पर्क कर उपचार कराया जाता है।

विन्दु सं0 02- नगर में आवारा पशुओं के मृत होने के उपरान्त उन्हें उठवाकर शहर के बाहर जंगल में गडढा खोदकर उसमें नमक डालकर सम्मान पूर्वक दफनाया जाता है।


विन्दु सं0 03- नगर पालिका परिषद, उरई द्वारा संचालित गौशाला में उच्चाधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जाता है, जिसमें हरा चारा, भूसा, पानी की व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था, ठण्ड से बचाव की व्यवस्था तथा साफ-सफाई का निरीक्षण किया जाता है।

विन्दु सं0 04- अवगत कराना है कि नगर में आवारा घूम रहे जानवरों को एक टीम गठित कर पकड़ाया जा रहा है, जिन्हें जिले की ग्रामीण गौशाला में उच्चाधिकारियों की देख-रेख में भेजा जा रहा है। तथा ठण्ड से बचाव हेतु पूर्ण व्यवस्था की गयी है।

आख्या सेवा में सादर प्रेषित है।



(विमला पति)
अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, उरई



(डा0 नरेन्द्र कुमार)
उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी
जालौन स्थान उरई

आदेश

क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान पाया गया है कि नगर क्षेत्र-जालौन की राइकों पर निराश्रित व बेसहारा गौबश अनियंत्रित रूप से विचरण करते रहते हैं जिससे जनसामान्य को आने-जाने में परेशानी होने तथा दुर्घटना होने की सम्भावना बनी रहती है। ऐसी स्थिति में उक्त निराश्रित एवं बेसहारा गौबशों को कैंटिल कैचर के माध्यम से पकड़कर आसपास (समीपस्थ) की गौशालाओं में संरक्षित किये जाने हेतु टीमों का गठन किया गया है।

अतः उपरोक्त कार्यवाही हेतु गठित टीमों के सतत पर्यवेक्षण हेतु श्री पुष्कर नाथ चौधरी अतिरिक्त मजिस्ट्रेट उरई एवं श्री गौरव कुमार नायब तहसीलदार जालौन को नामित किया जाता है। साथ ही उन्हें निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त टीमों के साथ मौके पर उपस्थित रहकर निराश्रित व बेसहारा गौबशों को सकुशल गौशाला में संरक्षित कराने की कार्यवाही अपनी देखरेख में पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे। यह आदेश तत्काल रूप से प्रभावी होगा।

(चांदनी सिंह)
जिलाधिकारी, जालौन

पृष्ठांकन संख्या 1757/ओ0एस0डी0 तददिनांक
प्रतिलिपि-

- 1- पुलिस अधीक्षक, जालौन को इस आशय से प्रेषित कि उक्त कार्यवाही के दौरान शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु गठित टीमों के साथ आवश्यक पुलिस बल तैनात कराने का कष्ट करें।
- 2- मुख्य विकास अधिकारी, जालौन।
- 3- अपर जिलाधिकारी (वि0 एवं रा0)/नमामि गंगे जनपद जालौन।
- 4- उप जिलाधिकारी, जालौन/तहसीलदार, जालौन।
- 5- श्री पुष्कर नाथ चौधरी अतिरिक्त मजिस्ट्रेट, उरई।
- 6- मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, जालौन को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अधीनस्थ पशु चिकित्साधिकारियों/पशुधन प्रसार अधिकारी की ड्यूटी अपने स्तर से गठित टीमों के साथ लगाते हुये उक्त कार्यवाही के दौरान उपस्थित कराना सुनिश्चित करें।
- 7- जिला पंचायत राज अधिकारी जनपद जालौन को उक्त कार्य में अपेक्षित सहयोग प्रदान करने व नजदीक की गौशाला में उक्त पकड़े गये गौबशों को संरक्षित कराने की कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 8- खण्ड विकास अधिकारी, जालौन को उक्त कार्य में अपने स्तर से सम्बंधित कर्मचारियों की ड्यूटी लगाने व उक्त कार्यवाही के दौरान उपस्थित कराना सुनिश्चित करें।
- 9- श्री गौरव कुमार नायब तहसीलदार जालौन।
- 10- प्रभारी निरीक्षक, थाना/कोतवाली-जालौन।
- 11- अधिशासी अधिकारी नगर पालिका जालौन को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त कार्यवाही के दौरान टीमों के कर्मचारियों को कैंटिल कैचर व अन्य संसाधनों के साथ निर्दिष्ट स्थल पर ससमय उपस्थित कराना सुनिश्चित करें तथा स्वयं भी कार्यवाही के दौरान मौके पर उपस्थित रहकर यथावश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करावें।

(चांदनी सिंह)
जिलाधिकारी, जालौन

प्रेषक,

खण्ड विकास अधिकारी
कदीरा (जालौन)।Annexure-R/24
(Colly)

सेवार्थे,

मुख्य पशु चिकित्साधिकारी
जालौन स्थान उरई।पत्रांक-9262/जांच आख्या/2022-23/
महोदय,

दिनांक-05 जनवरी 2023

मुख्य विकास अधिकारी महोदय, जालौन स्थान उरई के पत्रांक 2302/गौ0आ0स्थ0
/एन0जी0टी0/मु0प0चि0अ0/2022-23 दिनांक 30.12.2022 के क्रम में श्री पवन द्विवेदी के
ई-मेल पत्र दिनांक 08.12.2022 के द्वारा इस विकास खण्ड के अन्तर्गत निम्न गौशालाओं में
कमियों की कि गई शिकायतों की जांच संयुक्त खण्ड विकास अधिकारी कदीरा एवं सम्बन्धित
पशु चिकित्साधिकारी के द्वारा संयुक्त रूप से की गई उनके द्वारा प्रस्तुत जांच आख्या में
निम्नानुसार अवगत कराया गया है-

- 1- ग्राम पंचायत कुसमरा बावनी- गौशाला में 193 गौवंश संरक्षित है गौशाला में टीनशेड एवं
तिरपाल आदि की व्यवस्था उपलब्ध है। भूसा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है पूछने पर बताया गया
की लगभग 107 कु0 भूसा स्टॉक गौशाला में उपलब्ध है। भूसे के अतिरिक्त गौवंशों को हरा चारा
आदि भी आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराया जा रहा है। गौवंशों को रात्रि में ठण्ड से बचाव हेतु
टीनशेड में तिरपाल के अन्दर संरक्षित किया जा रहा है तथा अलाव की नियमित रूप से व्यवस्था
उपलब्ध है, दिन में गौवंशों को खुले में धूप में रखा जाता है, गौवंशों के स्वास्थ्य हेतु भी नियमित
रूप से देखभाल करते हुये बीमार गौवंश को तत्काल सम्बन्धित पशु चिकित्साधिकारी के द्वारा
उपचार किया जाता है। गौशाला में सभी व्यवस्थायें उपलब्ध है। ग्राम के सम्मान्त नागरिकों द्वारा
गौशाला संचालन के सम्बन्ध में संतुष्टि व्यक्त करते हुये अपना लिखित बयान भी प्रस्तुत किया
गया है जो गौशाला के फोटोग्राफ के साथ संलग्न है।
- 2- ग्राम पंचायत खुटमिली - गौशाला में 74 गौवंश संरक्षित है गौशाला में टीनशेड एवं तिरपाल
आदि की व्यवस्था उपलब्ध है। भूसा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है पूछने पर बताया गया की
लगभग 40 कु0 भूसा स्टॉक गौशाला में उपलब्ध है। भूसे के अतिरिक्त गौवंशों को हरा चारा
आदि भी आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराया जा रहा है। गौवंशों को रात्रि में ठण्ड से बचाव हेतु
टीनशेड में तिरपाल के अन्दर संरक्षित किया जा रहा है तथा अलाव की नियमित रूप से व्यवस्था
उपलब्ध है, दिन में गौवंशों को खुले में धूप में रखा जाता है, गौवंशों के स्वास्थ्य हेतु भी नियमित
रूप से देखभाल करते हुये बीमार गौवंश को तत्काल सम्बन्धित पशु चिकित्साधिकारी के द्वारा
उपचार किया जाता है। गौशाला में सभी व्यवस्थायें उपलब्ध है। ग्राम के सम्मान्त नागरिकों द्वारा
गौशाला संचालन के सम्बन्ध में संतुष्टि व्यक्त करते हुये अपना लिखित बयान भी प्रस्तुत किया
गया है जो गौशाला के फोटोग्राफ के साथ संलग्न है।
- 3- ग्राम पंचायत उदनपुर- गौशाला में 73 गौवंश संरक्षित है गौशाला में टीनशेड एवं तिरपाल
आदि की व्यवस्था उपलब्ध है। भूसा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है पूछने पर बताया गया की
लगभग 115 कु0 भूसा स्टॉक गौशाला में उपलब्ध है। भूसे के अतिरिक्त गौवंशों को हरा चारा
आदि भी आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराया जा रहा है। गौवंशों को रात्रि में ठण्ड से बचाव हेतु
टीनशेड में तिरपाल के अन्दर संरक्षित किया जा रहा है तथा अलाव की नियमित रूप से व्यवस्था

उपलब्ध है, दिन में गौवंशों को खुले में धूप में रखा जाता है, गौवंशों के स्वास्थ्य हेतु भी नियमित रूप से देखभाल करते हुये बीमार गौवंश को तत्काल सम्बन्धित पशु चिकित्साधिकारी के द्वारा उपचार किया जाता है। गौशाला में सभी व्यवस्थाएँ उपलब्ध हैं। ग्राम के सम्प्रान्त नागरिकों द्वारा गौशाला संचालन के सम्बन्ध में संतुष्टि व्यक्त करते हुये अपना लिखित बयान भी प्रस्तुत किया गया है जो गौशाला के फोटोग्राफ के साथ संलग्न है।

4- ग्राम पंचायत बबीना- गौशाला में 140 गौवंश संरक्षित हैं गौशाला में टीनशेड एवं तिरपाल आदि की व्यवस्था उपलब्ध है। भूसा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है पूछने पर बताया गया की लगभग 35 कु0 भूसा स्टॉक गौशाला में उपलब्ध है। भूसे के अतिरिक्त गौवंशों को हरा चारा आदि भी आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराया जा रहा है। गौवंशों को रात्रि में ठण्ड से बचाव हेतु टीनशेड में तिरपाल के अन्दर संरक्षित किया जा रहा है तथा अलाव की नियमित रूप से व्यवस्था उपलब्ध है, दिन में गौवंशों को खुले में धूप में रखा जाता है, गौवंशों के स्वास्थ्य हेतु भी नियमित रूप से देखभाल करते हुये बीमार गौवंश को तत्काल सम्बन्धित पशु चिकित्साधिकारी के द्वारा उपचार किया जाता है। गौशाला में सभी व्यवस्थाएँ उपलब्ध हैं। ग्राम के सम्प्रान्त नागरिकों द्वारा गौशाला संचालन के सम्बन्ध में संतुष्टि व्यक्त करते हुये अपना लिखित बयान भी प्रस्तुत किया गया है जो गौशाला के फोटोग्राफ के साथ संलग्न है।

5- ग्राम पंचायत कुरहना आलमगीर- गौशाला में 100 गौवंश संरक्षित हैं गौशाला में टीनशेड एवं तिरपाल आदि की व्यवस्था उपलब्ध है। भूसा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है पूछने पर बताया गया की लगभग 120 कु0 भूसा स्टॉक गौशाला में उपलब्ध है। भूसे के अतिरिक्त गौवंशों को हरा चारा आदि भी आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराया जा रहा है। गौवंशों को रात्रि में ठण्ड से बचाव हेतु टीनशेड में तिरपाल के अन्दर संरक्षित किया जा रहा है तथा अलाव की नियमित रूप से व्यवस्था उपलब्ध है, दिन में गौवंशों को खुले में धूप में रखा जाता है, गौवंशों के स्वास्थ्य हेतु भी नियमित रूप से देखभाल करते हुये बीमार गौवंश को तत्काल सम्बन्धित पशु चिकित्साधिकारी के द्वारा उपचार किया जाता है। जांच के समय उपस्थित केयर टेकर एवं अन्य ग्रामवासियों द्वारा अवगत कराया गया कि जीवित गाय को कुत्ते आदि के द्वारा खाने अथवा नौचने आदि की कोई घटना उनके संज्ञान में नहीं है और न ही इस प्रकार की कोई घटना घटित हुई है। गौशाला में सभी व्यवस्थाएँ उपलब्ध हैं। ग्राम के सम्प्रान्त नागरिकों द्वारा गौशाला संचालन के सम्बन्ध में संतुष्टि व्यक्त करते हुये अपना लिखित बयान भी प्रस्तुत किया गया है जो गौशाला के फोटोग्राफ के साथ संलग्न है।

6- ग्राम पंचायत इकौना- गौशाला में 160 गौवंश संरक्षित हैं गौशाला में टीनशेड एवं तिरपाल आदि की व्यवस्था उपलब्ध है। भूसा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है पूछने पर बताया गया की लगभग 70 कु0 भूसा स्टॉक गौशाला में उपलब्ध है। भूसे के अतिरिक्त गौवंशों को हरा चारा आदि भी आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराया जा रहा है। गौवंशों को रात्रि में ठण्ड से बचाव हेतु टीनशेड में तिरपाल के अन्दर संरक्षित किया जा रहा है तथा अलाव की नियमित रूप से व्यवस्था उपलब्ध है, दिन में गौवंशों को खुले में धूप में रखा जाता है, गौवंशों के स्वास्थ्य हेतु भी नियमित रूप से देखभाल करते हुये बीमार गौवंश को तत्काल सम्बन्धित पशु चिकित्साधिकारी के द्वारा उपचार किया जाता है। गौशाला में सभी व्यवस्थाएँ उपलब्ध हैं। ग्राम के सम्प्रान्त नागरिकों द्वारा गौशाला संचालन के सम्बन्ध में संतुष्टि व्यक्त करते हुये अपना लिखित बयान भी प्रस्तुत किया गया है जो गौशाला के फोटोग्राफ के साथ संलग्न है।

7- ग्राम पंचायत हरचन्द्रपुर- गौशाला में 68 गौवंश संरक्षित है गौशाला में टीनशेड एवं तिरपाल आदि की व्यवस्था उपलब्ध है। भूसा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है पूछने पर बताया गया व लगभग 80 कु0 भूसा स्टॉक गौशाला में उपलब्ध है। भूसे के अतिरिक्त गौवंशों को हरा चारा आदि भी आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराया जा रहा है। गौवंशों को रात्रि में ठण्ड से बचाव हेतु टीनशेड में तिरपाल के अन्दर संरक्षित किया जा रहा है तथा अलाव की नियमित रूप से व्यवस्था उपलब्ध है, दिन में गौवंशों को खुले में घूप में रखा जाता है, गौवंशों के स्वास्थ्य हेतु भी नियमित रूप से देखभाल करते हुये बीमार गौवंश को तत्काल सम्बन्धित पशु चिकित्साधिकारी के द्वारा उपचार किया जाता है। गौशाला में सभी व्यवस्थाएँ उपलब्ध है। ग्राम के सम्भ्रान्त नागरिकों द्वारा गौशाला संचालन के सम्बन्ध में संतुष्टि व्यक्त करते हुये अपना लिखित बयान भी प्रस्तुत किया गया है जो गौशाला के फोटोग्राफ के साथ संलग्न है।

8- ग्राम पंचायत चमारी- उक्त गौशाला स्वयं सेवी संस्था के द्वारा संचालित की जा रही है गौशाला में 677 गौवंश संरक्षित है गौशाला में टीनशेड एवं तिरपाल आदि की व्यवस्था उपलब्ध है। भूसा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है पूछने पर बताया गया की लगभग 185 कु0 भूसा स्टॉक गौशाला में उपलब्ध है। भूसे के अतिरिक्त गौवंशों को हरा चारा आदि भी आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराया जा रहा है। गौवंशों को रात्रि में ठण्ड से बचाव हेतु टीनशेड में तिरपाल के अन्दर संरक्षित किया जा रहा है तथा अलाव की नियमित रूप से व्यवस्था उपलब्ध है, दिन में गौवंशों को खुले में घूप में रखा जाता है, गौवंशों के स्वास्थ्य हेतु भी नियमित रूप से देखभाल करते हुये बीमार गौवंश को तत्काल सम्बन्धित पशु चिकित्साधिकारी के द्वारा उपचार किया जाता है। गौशाला में सभी व्यवस्थाएँ उपलब्ध है। ग्राम के सम्भ्रान्त नागरिकों द्वारा गौशाला संचालन के सम्बन्ध में संतुष्टि व्यक्त करते हुये अपना लिखित बयान भी प्रस्तुत किया गया है जो गौशाला के फोटोग्राफ के साथ संलग्न है।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार बयान एवं फोटोग्राफ।

सादर


पशु चिकित्साधिकारी
आटा (जालौन)


पशु चिकित्साधिकारी
कदौरा (जालौन)

भवदीय

खण्ड विकास अधिकारी
कदौरा (जालौन)

पृष्ठांकन सं०- /दिनांक तद

प्रतिलिपि- मुख्य विकास अधिकारी महोदय, जालौन स्थान उरई की सेवा में उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सादर सूचनार्थ प्रेषित।


खण्ड विकास अधिकारी
कदौरा (जालौन)

बचत खाते में

ग्राम विकास अधिकारी
उदयपुर जिल्ला (उ.प्र.)

हम सभी ग्राम पंचायत में ग्रामपंचायत के काम करते हैं कि
हमारी ग्रामपंचायत जिल्ला में अग्रणी गौशाला अंगणवाड़ी
विभागों के साथ साथ साथ साथ साथ साथ साथ साथ
के व्यवस्था में रहें, चरनी के भी व्यवस्था अंगणवाड़ी
गौशाला में शुरू, कलाप एवं सही से बनाव हेतु हमारी
सुझावों को ध्यान में रखें।

Rohit Singh
रोहित सिंह 9695212645

Karan
करन 9621649869

Ankur
अंकुर 0513810359

Diyanshu Singh
दियानशु सिंह 9198030128

Diyanshu Singh
दियानशु सिंह 1388805344

Kuldeep
कुलदीप 9026324235

Kamru
कमरु 9198724366

Arshad
अर्शाद 6388061089

अर्शाद अर्शाद
अर्शाद

Arshad
अर्शाद देवी
अर्शाद देवी
अर्शाद देवी

ग्राम विकास अधिकारी
उदयपुर जिल्ला (उ.प्र.)

अर्शाद देवी

सैम नै

रवठ विक्रसमधिकारी

करोप जालोन २०२६

रुम सभ्री ग्राम वासी राष्त्रपूर्ति लग्न करते हैं कि
 हमारी ग्राम फ्यामंड कुसमरा (बावरी) में अस्पार्
 गौशाला संगानित है जिसमें ज्यस्त दाप लाइट
 रटर एवं तिरपाल की व्यवस्था है चरही व चरवी
 व गौशाला में भूषा व हरे चारे की पर्याप्त व्यवस्था
 है एवं सदी से चयन हेतु अलाव कीभी व्यवस्था है।

ग्रामीण

रजल सिंह २००९३९९४३३

पुष्पेन्द्र

जयान्य रैत - २००४२४२६६२

चन्द्रकिशोर ७८८११०५०४

श्यामसुन्दर ६३०८१४२४११

परशुराम ९९५६२०४८२५

कुष्णकुमार ०४४००६८६१७

उदयमान ०४२९६०२५६१

शिवकुमार ९५१९७३०९३९

निदेश कुमार ८४२९६०२५११

रोहित कुमार - ६३९२०९११२

राज - ९९५३२५५६२९

आलिक-७५२१०३९२९

भालक ७६०७४४४३१

गोरखचन्द्र ९९५६२१२९

देवीशंकर ८१७५९३३५६

रामकिशोर ८००९०३३१

मुलका - ३ ९६२८१२९

देवी गुलाम ९९५९१

अनंता


गलापी
गामान (६)
गामान (६)

सेवा में

रवठु विकास अधिकारी
कर्पूरा जालीन (उ०प्र०)

हम सभी ग्रामवासी शपथ पूर्वक बगान करते हैं।
हमारी ग्राम पंचायत उदपुर में अस्बाई गौशाला
संचालित है जिसमें प्रधान द्वारा लाइट व्यवस्था
दूर एवं विरपाल की व्यवस्था है चरही चली
की भी व्यवस्था पंक्ति है। गौशाला में भूसाअभाव
एवं सही से बचाव हेतु सारी व्यवस्थाएँ की
गयी हैं। निम्निरूपसे दस-दस ठेका दिनांक दिए जा रहे हैं।

- | | |
|---------------------------------|------------|
| विजय कुमार शर्मा (पूर्व प्रधान) | 9839342859 |
| रमेश कुमार (बाबाजी) | 8992868222 |
| देवसिंह लुशोटा | 9695268840 |
| मामसिंह लुशोटा | 9621653145 |
| शैलज सिध | 6307947107 |
| सुरेश कुमार | 7518657071 |
| मंडन लुशोटा | 6387961238 |
| जमलेश कुमार | 7408620319 |
| अवधसिंहारी | 8853782231 |
| दासजीशर्मा | 9651869734 |
| मोहन सिंह | - |
| श्यामसिंह | 6381244035 |
| अनिल कुमार | 9771144615 |
| विजय कुमार | 9771144615 |
| श्यामसिंह | 9771144615 |



अभ्यास

समस्त जाँच कर्मिनाली

सबसे पहले हम सभी लोग यह बर्तिकावर बंधकों
 को जान लेते हैं कि उनका कुलना नामकाली है जो शासन का
 विचारण शक्ति को भी बिना जाँच से है।

शासन में सभी व्यक्तियों
 उपलब्ध हैं तथा यह शासन में हर गौरेय के शक्ति
 कुलना द्वारा नोच जाके शाही की कोई दस्ता बिल नही
 हुई है। हम लोग शासन विचारण से पूर्व यह है।

विचारण है
 नाम

श्री २०

8953797152

- ① चलाचल
- ② हरचरन
- ③ श्रीरशंकुमर
- ④ शान्तेश
- ⑤ कालु पदम
- ⑦ सुभाष कुमार
- ⑧ रामजान रवाँ
- ⑨ उदयशान
- ⑩ विकास कुमार
- ⑪ भानु कुमार
- ⑫ पीलाश
- ⑬ रमिणी
- ⑭ प्रभात सिंह

8004097023
 8009675079
 9664640402

9580492671
 8176845003

9065641076
 8853295370

9519230689
 8423949808

संख्या नं.

श्रीमान् खण्ड विकास अधिकारी,
कदौरा (जालौन)


महोदय,

हम सभी ग्रामवासी सपथपूर्वक बयान करते हैं कि ग्राम पंचायत चमारी में गिरजा महिला बाल विकास सेवा संस्थान द्वारा स्थायी गौशाला गौवश वन्य विहार चमारी का संचालन किया जा रहा है। जिसमें सभी प्रकार की व्यवस्था जैसे-टीन सैंड, भूसा घर, पेयजल, धरही, धरनी, सर्दी से बचाव हेतु तिपाल, अलाव आदि की व्यवस्था है। इसके साथ-साथ गौवशों के गोबर एवं मूत्र के निस्तारण की उचित व्यवस्था है। जिसमें गोबर गैस प्लांट, खाद गड्डे आदि बने हुये है।
ग्रामीणों के हस्ताक्षर/अंगूठा निम्नान-

हस्ताक्षर	मो०नं०	हस्ताक्षर	मो०नं०
1. श्रीमती दिव्ये प्रबोधा	9415504237	11. Seem	
2. सुनील		12. चंद्र प्रकाश	9793829959
3. राजेश्वरी	9415504237	13. जय शंकर	9415504237
4. रानी कुमारी	9919462031	14. पाण्डु	9452324381
5. राजू सिंदी		15. मेहलू प्रबोधा	9621045215
6. गणेश	8429730831	16. पाण्डु	9936566687
7. सुनील	8173871045		
8. गगन सिंह	7703928395		
9. जयमल	7376658013		
10. सुनील			
			20.

हम सभी ग्रामवासी सभ्य पूर्ण वमान करते हैं कि हमारी
ग्राम पंचायत हकौना में अर्थात् जौवंश आक्रमण
संचालित है जिसे ग्राम प्रबन्ध द्वारा लाइव बावस्था टर्न
तिरपाल की व्यवस्था व चरही, चरनी की भी व्यवस्था
पर्याप्त है जौशाला में भूसा व सदी से बचाव के लिए
अलाव की सारी व्यवस्थाएँ की गई हैं।

जमकारन	—	जमकरन	7318328059
रमाकरन	—	रमाकरन	9400639662
मनफूल	—	मनफूल	99561179612
शिवराज	—	शिवराज	9056497351
प्रदीप	—	प्रदीप	8674178560
रामशंकर	—	रामशंकर	9076625740
जमपाल	—	जमपाल	9198329244
लाला	—	लाला	9559625159
बैजन्त	—	बैजन्त	9554058101



सेवा में


74

खण्ड विकास अधिकारी

800

उदौरा (जम्मू) (30.50)




हम सभी ग्राम वासी शपथपूर्वक ब्यान करते हैं कि
हमारी ग्राम पंचायत खुदमिली में अस्थाई गौशाला
संचालित है। जिसमें प्रधान द्वारा जाइर व्यवस्था
टहर एवं तिरपाल की व्यवस्था है। चरही,
चरनी की भी व्यवस्था पर्याप्त है। गौशाला
में शूमा, अलाव एवं सर्दी से बचाव हेतु
सारी व्यवस्थाओं की पूर्ण है।





- ① हस्ताक्षर गात्र ५५/०
- | | |
|---|--------------|
| डा. ज. र. दी. ० | 9651688826 |
| हाबुसीक | 7880441070 |
| सुनील - | 9956325432 |
| आमिताभ देवारी | - 7807398036 |
|  | 9899365632 |
| सैब लू | 6387420683 |
| ज. लाल | 9450019400 |
| विजय | 9936272275 |
| मैनु | 7754985382 |
| श. ग. लाल | 9628268068 |
| भोला | 9356602438 |
| मोहन शुबला | 9555570941 |
| रहीप लाल | 0960972695 |
| | 9026289095 |





वृक्षारोपण एवं सुन्दरीकरण

75





ग्राम पंचायत - कुरहना आलमगीर गौशाला



प्रेषक,

555

Annexure-R/25-25

खण्ड विकास अधिकारी
कुठौन्द(जालौन)

78

सेवा में,

✓मुख्य पशुचिकित्साधिकारी
जालौन स्थान उरई।

पत्राक 1835/गौआस्था/एनजीटी/2022-23 दिनांक 06/01/2023
महोदय,

मुख्य विकास अधिकारी जालौन स्थान उरई के आदेश संख्या 2302/गौआश्रय स्थल/एनजीटी/मुपचिआ/2022.23 दिनांक 30.12.2022 के अनुपालन में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओएओ सं 394/2022 पुष्पेन्द्र कुमार बनाम खण्ड विकास अधिकारी कदौरा अन्य से सम्बन्धित चांही गयी सूचना निम्न विवरण के अनुसार सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

क्र०सं०	विकास खण्ड का नाम	अस्थाई गौआश्रय का नाम	अभ्युक्ति
1	कुठौन्द	नौरैजपुर	नौरैजपुर में अस्थाई गौआश्रय स्थल में सभी व्यवस्थायें सुनिश्चित करायी गयी है। भूसा, हरा चारा, टण्ड से बचाव के लिये त्रिपाल व अलाव, आदि की व्यवस्थायें सुनिश्चित करा दी गयी है। एवं पशुघनप्रसार अधिकारी द्वारा वेक्सीनेशन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
2	कुठौन्द	जहटौली	ग्रामवासियों के सहयोग से चालाई जा रही है जिसका निरीक्षण ग्राम विकास अधिकारी और पशुघन प्रसार अधिकारी के द्वारा नियमित किया जाता है। भरण पोषण एवं टण्ड से बचाव की उचित व्यवस्थाये कर ली गयी है।

भवदीय

पशुचिकित्साधिकारी
कुठौन्द(जालौन)

भवदीय

खण्ड विकास अधिकारी
कुठौन्द (जालौन)

556

Annexure-R/26

79

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
जनपद-जालौन।

सेवा में,

विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन,
पशुधन अनुभाग-2,
लखनऊ।


पत्रांक 2389/गौ आश्रय स्थल/एन०जी०टी०/मु०प०चि०अ०/2022-23 दिनांक:- 12-01-2023
विषय:- ओ०ए० नं० 394/2022 में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 17-11-2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं० 2504(1)/सैंतीस-2-2022 दिनांक 13 दिसम्बर, 2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा ओ०ए० नं० 394/2022 में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 17-11-2022 के अनुपालन में इस जनपद के विकास खण्ड कदौरा के कुसमरा वावनी, खुटमिली, उदनपुर, बबीना, कुरहना आलमगीर, इकौना, हरचन्द्रपुर, चमारी व विकास खण्ड डकोर के लहचूरा, विकास खण्ड कुठौन्द के नौरैजपुर, जहटौली में संचालित गौ आश्रय स्थलों की खण्ड विकास अधिकारी एवं पशु चिकित्सा अधिकारी से स्थलीय संयुक्त जाँच करायी गयी तथा नगर पालिका परिषद उरई, कालपी एवं नगर पंचायत रामपुरा, कदौरा में संचालित गौ आश्रय स्थलों की अधिशाषी अधिकारी तथा पशु चिकित्सा अधिकारियों से स्थलीय संयुक्त जाँच करायी गयी। जाँच आख्या का मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी जालौन द्वारा परीक्षण कर लिया गया है, जिससे वह सन्तुष्ट हैं।

अतः उक्त अधिकारियों द्वारा गौ आश्रय स्थलों की सम्पादित की गयी जाँच आख्या मूल रूप से संलग्न कर एतद् द्वारा आपकी सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।
संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीया



(चौदनी सिंह)

जिलाधिकारी

जे. जालौन।

पत्रांक 2389/उक्त/2022-23 दिनांक:- 12-01-2023

प्रतिलिपि:- निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ०प्र० लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



जे. जालौन।

जे. जालौन।

557

Annexure-R/27

कार्यालय जिलाधिकारी, जनपद-जालौन।

पत्रांक 2398 / गौ0आ0स्थ0 / गु0प0चि0अ0 / टण्ड से बचाव / 2022-23

दिनांक:- 15-01-2023


80

- 01-अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, जनपद-जालौन।
 02-जिला पंचायत राज अधिकारी, जनपद-जालौन।
 03-समस्त अधिशापी अधिकारी, नगर पंचायत/नगर पालिका परिषद, जनपद-जालौन।
 04-समस्त खण्ड विकास अधिकारी, जनपद-जालौन।

विषय:- जनपद के समस्त गौ आश्रय स्थलों में टण्ड से बचाव हेतु एवं हरा चारा व भूसा की पर्याप्त व्यवस्थार्थ पूर्ण होने का प्रमाण पत्र प्रेषित करने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक अधोहरताक्षरी के आदेश सं0 1864/गु0प0चि0अ0/गौ आश्रय स्थल/2022-23 दिनांक 10-11-2022 एवं आदेश सं0 2288/गौ0आ0स्थ0/गु0प0चि0अ0/टण्ड से बचाव/2022-23 दिनांक 30-12-2022 द्वारा जनपद के समस्त गौ आश्रय स्थलों में टण्ड से बचाव हेतु तिरपाल, टीन शीट तथा अलाव की व्यवस्था करने हेतु निर्देश दिये गये थे। ताकि गौवशों को टण्ड के मौसम में किसी भी प्रकार की परेशानी न हो।

अतः उपरोक्त के सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है, कि जनपद के समस्त गौ आश्रय स्थलों में टण्ड से बचाव की व्यवस्था पूर्ण कर ली गयी है तथा समस्त गौ आश्रय स्थलों में हरा चारा व भूसे की पर्याप्त व्यवस्था है। का प्रमाण पत्र तीन दिवस के अन्दर मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी जनपद जालौन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे, ताकि प्रमाण पत्र शासन को प्रेषित किया जा सके।



जिलाधिकारी,

जनपद-जालौन।


पत्रांक 2398 / उक्त / 2022-23

दिनांक:- 15-01-2023

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


- 01- निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
 02- अपर निदेशक, ग्रेड-2, पशुपालन विभाग, डॉसी मण्डल डॉसी।
 03- मुख्य विकास अधिकारी, जनपद-जालौन।
 04- अपर जिलाधिकारी, (नमामि गंगे), जनपद-जालौन।
 05- समस्त उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी/पशु चिकित्सा अधिकारी, जनपद-जालौन

को इस निर्देश के साथ कि अपने-अपने क्षेत्र के समस्त गौ आश्रय स्थलों का निरीक्षण कर टण्ड से बचाव, हरा चारा व भूसा की पर्याप्त व्यवस्था का प्रमाण पत्र खण्ड विकास अधिकारियों एवं अधिशापी अधिकारियों से मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, जनपद जालौन को प्रेषित करवाना सुनिश्चित करें।



जिलाधिकारी,

जनपद-जालौन।



जनपद-जालौन की शहरी 558 गौशालाओं से सम्बन्धित सूचना। 8।

जनपद जालौन में शहरी क्षेत्र में 07 गौशालाओं में संरक्षित 1946 गौवंशों का समुचित रखरखाव उनकी देखभाल एवं भरण पोषण हेतु चारा भूसा, हरी घास, बरसीम आदि की व्यवस्था सुचारु रूप से की जा रही है। ठण्डी/सर्दी के मौसम में गौशालाओं में तिरपाल एवं गौवंशों को टाट बोरे आदि पहनाकर तथा अलाव जलाकर गौवंशों को ठंड से बचाने का पूरा प्रयास किया गया है।

ग्रीष्म ऋतु सन्निकट है जिसको दृष्टिगत रखते हुए समस्त गौशालाओं में छाया हेतु टीन शेड तथा पेयजल हेतु समर सेबिल/हैण्डपम्प लगाकर धूप/गर्मी से गौवंशों के बचाव हेतु सम्पूर्ण व्यवस्थायें सुनिश्चित की गयी हैं।

गौवंशों को भरण पोषण हेतु हरा चारा /नैपियर घास की बुवाई निम्न विवरण के अनुसार बुवाई की गयी है बजट का आवंटन समय-समय पर आवश्यकतानुसार होता रहता है।

क्र० सं०	नगर पंचायत/नगर पालिका परिषद का नाम	नैपियर घास का क्षेत्रफल (हे० में)	बरसीम का क्षेत्रफल (हे० में)	योग (3+4)
1	2	3	4	5
1	ऊमरी	—	—	—
2	रामपुरा	—	—	—
3	कोंच	0.16	0.16	0.32
4	उरई	0.8	—	0.8
5	नदीगांव	0.099	—	0.099
6	जालौन	0.676	—	0.676
7	कदौरा	0.3	—	0.3
कुल योग:-		2.035	0.16	2.195


 मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी,
 जनपद-जालौन।


कार्यालय नगर पंचायत ऊमरी (जालौन)

४२

दिनांक :- 25.02.2022

कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय में संरक्षित गौवंशो की सूचना

क्र०सं०	गौ आश्रय स्थलों की संख्या	संरक्षित गौवंश की संख्या	नैपियर घास का क्षेत्रफल (एकड़ में)	बरसीम का क्षेत्रफल (एकड़ में)	सर्दी से बचाव की क्या व्यवस्था की गयी थी, जैसे शैडो को तिरपालो से कवर करना तथा अलाव की व्यवस्था आदि	गमी से बचाव की क्या व्यवस्था की गयी है, जैसे छाया एवं पेयजल आदि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	148	-	-	शैड को तिरपाल से कवर कर दिया गया था तथा सुबह-शाम अलाव की व्यवस्था की गयी थी।	छाया एवं पेयजल की व्यवस्था है।	गौवंशो को हरा चारा में हरा मटर एवं आलू का पाल खिलाया जा रहा है।


 अधिशासी अधिकारी
 नगर पंचायत ऊमरी (जालौन)

कार्यालय नगर पंचायत रामपुरा (जालौन)

83

दिनांक :- 25.02.2022

कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय में संरक्षित गौवंशो की सूचना

क्र०सं०	गौ आश्रय स्थलों की संख्या	संरक्षित गौवंश की संख्या	नैपियर घास का क्षेत्रफल (एकड़ में)	बरसीम का क्षेत्रफल (एकड़ में)	सर्दी से बचाव की क्या व्यवस्था की गयी थी, जैसे शैडो को तिरपालो से कवर करना तथा अलाव की व्यवस्था आदि	गमी से बचाव की क्या व्यवस्था की गयी है, जैसे छाया एवं पेयजल आदि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	247	-	-	शैड को तिरपाल से कवर कर दिया गया था तथा सुबह-शाम अलाव की व्यवस्था की गयी थी।	छाया एवं पेयजल की व्यवस्था है।	गौवंशो को हरा चारा में हरा मटर खिलाया जा रहा है।

21/2/2022

अधिशोषी अधिकारी

नगर पंचायत रामपुरा (जालौन)

561

कार्यालय नगर पालिका परिषद कोंच - जालौन

84

पत्रांक 586 / 2022-23
सेवा में,

दिनांक 25.2.23

मुख्य पशु चिकित्साधिकारी
जनपद - जालौन।

विषय - जनपद की समस्त गौ आश्रय स्थलों की निम्न प्रारूप पर सूचना प्रेषण करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्र सं० 2724/उक्त/2022-23 दिनांक 25.02.2023 के सन्दर्भ में चाही गयी सूचना निर्धारित प्रारूप पर तैयार कर आपकी सेवा में प्रेषित है।

विकास खण्ड/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत का नाम	गौ आश्रय स्थलों की संख्या	संरक्षित गौवंश की संख्या	नेपियर घास का क्षेत्रफल(एकड़)	बरसीम का क्षेत्रफल(एकड़ में)	सर्दी से बचाव की क्या व्यवस्था की गयी थी, जैसे शैडों को त्रिपाल से कवर करना तथा अलाव की व्यवस्था आदि	गर्मी से बचाव की क्या व्यवस्था की गयी है जैसे छाया एवं पेयजल आदि
1	2	3	4	5	6	7
नगर पालिका परिषद कोंच	01	247	40 डिसमिल	40 डिसमिल	त्रिपाल व अलाव की व्यवस्था	टीन सैड व पानी के समर की व्यवस्था

उप मुख्य पशुचिकित्साधिकारी
DY. C. O.
KONCH JALAIN

अधिशाली अधिकारी
नगर पालिका परिषद कोंच
जनपद- जालौन

562

85

कार्यालय नगर पालिका परिषद, उरई जनपद-जालौन

पत्रांक 1036-(92-23)

उरई

दिनांक 25-02-23

सेवा में,

मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी,
जनपद-जालौन

विषय- गौ आश्रय स्थल की निर्धारित प्रारूप पर सूचना प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अपने कार्यालय के पत्र सं० 2724/गौआस्थ०/एन०जी०टी०/2022-23 दिनांक 25.02.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि दिये गये निर्धारित प्रारूप पर सूचना तैयार कर आपकी सेवा में सादर प्रेषित है।

निकाय का नाम	गौ आश्रय स्थलों की संख्या	संरक्षित गौवंश की संख्या	नैपियर घास का क्षेत्रफल (एकड में)	बरसीम का क्षेत्रफल (एकड में)	सर्दी से बचाव की क्या व्यवस्था की गयी थी, जैसे शैडो को तिरपालों से कवर करना तथा आलाव की व्यवस्था आदि	गर्मी से बचाव की क्या व्यवस्था की गयी है जैसे छाया एवं पेयजल आदि
1	2	3	4	5	6	7
न०पा०परि० उरई	01	245	02	-	सर्दी से बचाव हेतु टीन शैड, त्रिपाल, एवं प्रतिदिन अलाव की व्यवस्था की गयी।	गर्मी से बचाव हेतु छाया के लिये टीनशैड, पंखे, पेयजल आदि की पूर्ण व्यवस्था है।

कृपया उपरोक्तानुसार सूचित होने का कष्ट करें।

अधिसासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, उरई

कार्यालय-नगर पंचायत नदीगांव (जालौन)
पत्रांक-1-18 / नदीगांव / 2022-23

563

86

दिनांक-25/02/2023

सेवा में,

मुख्य पशु चिकित्साधिकारी,
जालौन स्थान उरई।

विषय नगर निकायों में संचालित गौशाला की सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या, 2724/गौ0आ0रथ0/एन0जी0टी0/2022-23 दिनांक 25 फरवरी 2023 के अनुपालन में चाही गयी वांछित सूचना तैयार कर आपकी सेवा में सादर प्रेषित है।

विकास खण्ड/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत का नाम	गौ आश्रय स्थलों की संख्या	संरक्षित गौवंश संख्या	नैपियर घास का क्षेत्रफल (एकड़ में)	बरसीग का क्षेत्रफल (एकड़ में)	सर्दी से बचाव की क्या व्यवस्था की गयी थी, जैसे शीटों को तिरपालों से कवर करना तथा अलाव की व्यवस्था आदि	गर्मी से बचाव की क्या व्यवस्था की गयी है जैसे छाया एवं पेयजल आदि
1	2	3	4	5	6	7
नगर पंचायत नदीगांव	01	510	0.62 एकड़	-	हाँ	हाँ

श्रीमान् जी उक्त प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करें।

भवदीय,

अधिसापी अधिकारी
नगर पंचायत नदीगांव (जालौन)

कार्यालय नगर पालिका परिषद जालौन

दिनांक :- 25.02.2022

कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय में संरक्षित गौवंशो की सूचना

क्र०सं०	गौ आश्रय स्थलों की संख्या	संरक्षित गौवंश की संख्या	नैपियर घास का क्षेत्रफल (एकड़ में)	बरसीम का क्षेत्रफल (एकड़ में)	सर्दी से बचाव की क्या व्यवस्था की गयी थी, जैसे शैडो को तिरपालो से कवर करना तथा अलाव की व्यवस्था आदि	गमी से बचाव की क्या व्यवस्था की गयी है, जैसे छाया एवं पेयजल आदि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	206	0.676 हे०	-	शैडो को तिरपाल से कवर कर दिया गया था तथा सुबह-शाम अलाव की व्यवस्था की गयी थी।	छाया एवं पेयजल की व्यवस्था है।	गौवंशो को हरा चारा में हरा मटर एवं करब खिलायी जा रही है।


 अधिष्ठाता अधिकारी
 नगर पालिका परिषद जालौन
 25.02.2022

कार्यालय नगर पंचायत कदौरा-जालौन

नगर पंचायत कदौरा के अन्तर्गत गोवश आश्रय स्थल में संरक्षित गोवशों हेतु नैपियर घास एवं
हरा चारा (बरसीम) बुवाई का विवरण

दिनांक-25.02.2023

1	2	3	4	5	6	7
कास खण्ड / नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत का नाम	गो आश्रय स्थलों की संख्या	संरक्षित गोवश की संख्या	नैपियर घास का क्षेत्रफल (एकड़ में)	बरसीम का क्षेत्रफल (एकड़ में)	सर्दी से बचाव की क्या व्यवस्था की गयी थी- जैसे शीडो को तिरपालों से कवर करना तथा आलाव की व्यवस्था आदि	गर्मी से बचाव की क्या व्यवस्था की गयी है जैसे छाया एवं पेयजल आदि
नगर पंचायत कदौरा	01	343	0.75	—	सर्दी से बचाव हेतु टीन शीड की खुली तरफ से तिरपाल लगाकर ढक दिया गया था। प्रतिदिन सुबह-शाम आलाव की व्यवस्था की गयी थी।	गर्मी से बचाव हेतु कान्हा गौशाला में पेयजल एवं छाया की पर्याप्त व्यवस्था है।

अधिरक्षक अधिकारी
नगर पंचायत कदौरा-जालौन
25.02.2023

जनपद-जालौन की ग्रामीण क्षेत्रों की गौशालाओं से सम्बन्धित सूचना। 89

जनपद जालौन में 09 विकास खण्डों में 386 गौशालाओं में संरक्षित 40272 गौवंशों का समुचित रखरखाव उनकी देखभाल एवं भरण पोषण हेतु चारा भूसा, हरी घास, बरसीम आदि की व्यवस्था सुचारु रूप से की जा रही है। ठण्डी/सर्दी के मौसम में गौशालाओं में तिरपाल एवं गौवंशों को टाट बोरे आदि पहनाकर तथा अलाव जलाकर गौवंशों को ठंड से बचाने का पूरा प्रयास किया गया है।

ग्रीष्म ऋतु सन्निकट है जिसको दृष्टिगत रखते हुए समस्त गौशालाओं में छाया हेतु टीन शेड तथा पेयजल हेतु समर सेबिल/हैण्डपम्प लगाकर धूप/गर्मी से गौवंशों के बचाव हेतु सम्पूर्ण व्यवस्थायें सुनिश्चित की गयी है।

गौवंशों को भरण पोषण हेतु हरा चारा / नैपियर घास की बुवाई निम्न विवरण के अनुसार बुवाई की गयी है, बजट का आवंटन समय-समय पर आवश्यकतानुसार होता रहता है।

क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	नैपियर घास का क्षेत्रफल (हे० में)	बरसीम का क्षेत्रफल (हे० में)	योग (3+4)
1	2	3	4	5
1	डकोर	8.30	4.60	12.90
2	कोंच	3.68	8.08	11.76
3	नदीगांव	2.2	2.8	5
4	जालौन	10.416	6.24	16.656
5	महेवा	5.75	7.50	13.25
6	रामपुरा	1.77051	3.03516	4.80567
7	कदौरा	7.62	14.4	22.02
8	कुठौन्द	4.6538	3.3184	7.9722
9	माधौगढ़	2.552	3.36	5.912
कुल योग:-		46.9423	53.3335	100.2758


मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी,
जनपद-जालौन।

नैपियर घास/वरसीम का क्षेत्रफल की सूचना

१०

दिनांक 25.02.2023

विकास खण्ड का नाम	गौआश्रय स्थलों की संख्या	संरक्षित गौवश की संख्या	नैपियर घास का क्षेत्रफल (एकड़ में)	वरसीम/जी का क्षेत्रफल (एकड़ में)	सर्दी से बचाव की क्या व्यवस्था की गई थी। जैसे शैडों को तिरपालों से कवर करना तथा अलाव की व्यवस्था आदि	गर्मी से बचाव की क्या व्यवस्था की गई है जैसे छाया एवं पेयजल आदि
1	2	3	4	5	6	7
डकोर	65	8673	20.75	11.50	शैड, तिरपाल, अलाव की व्यवस्था की गई	शैड, समरसेविल, हैण्डपम्प


खण्ड विकास अधिकारी
डकोर जालौन

हरे चारे / नेपियर घास की सूचना विकास खण्ड काव 25/02/2023


क्र०सं०	विकास खण्ड का नाम	संचालित अस्थाई गौशाला की संख्या	संरक्षित गौवंश की संख्या	नेपियर घास बुवाई का क्षेत्र एकड़ में	हरा चारा बुवाई का क्षेत्र एकड़ में	सर्दी से बचाव की क्या व्यवस्था की गयी थी जैसे सेडों की तिरपाल से तथा अलाव की व्यवस्था आदि	गर्मी से बचाव से क्या व्यवस्था की गयी है जैसे छाया एवं पेयजल आदि	अन्य विवरण
1	कोंच	60	4822	9.2 एकड़	20.2 एकड़	तिरपाल एवं अलाव की व्यवस्था की गयी	छाया हेतु तिरपाल, टीन सेड एवं पानी की चरही	अन्य स्थलों पर भी बुवाई करायी जा रही है।


 Y खण्ड विकास अधिकारी
 कोंच (जालौन)

१२

गौ आश्रय स्थलो की सूचना का प्रारूप विकास खण्ड नदीगांव दिनांक 25/12/2023

विकास खण्ड का नाम	गौ आश्रय स्थलो की संख्या	संरक्षित गौवंशो की संख्या	नैपियर घास का क्षेत्रफल (एकड मे)	वरसीम का क्षेत्रफल (एकड मे)	सर्दी से वचाव की क्या व्यवस्था की गयी थी, जैसे शैडो का तिरपालो से कवर करना तथा अलाव की व्यवस्था आदि	गर्मी से वचाव की क्या व्यवस्था की गयी है जैसे छाया एवं पेयजल आदि
1	2	3	4	5	6	7
नदीगांव	51	5786	5.50	7.0	हाँ	छाया एवं पेयजल


 खण्ड विकास अधिकारी
 नदीगांव (जालौन)

विकास खण्ड के अन्तर्गत अस्थायी गौवंश आश्रय स्थलों में संरक्षित गौवंशों हेतु नैपियर घास एवं हरा चारा (बरसीम) बुबाई का विवरण

दिनांक- 25.02.2023

क्र०सं०	विकास खण्ड का नाम	अस्थायी गौवंश आश्रय स्थलों की संख्या	संरक्षित गौवंशों की संख्या	नैपियर घास बुबाई	हरा चारा बरसीम बुबाई	सर्दी से बचाव की क्या व्यवस्था की गयी है जैसे शैडो को तिरपाल से कवर करना, अलाव आदि	गर्मी से बचाव की क्या व्यवस्था की गयी है जैसे छाया तथा पेयजल की व्यवस्था है।
1	2	3	4	5	6	7	8
1	जालौन	39	4349	26.04 एकड़	15.60 एकड़	समस्त गौवंश आश्रय स्थलों में सर्दी से बचाव हेतु शैडों में तिरपाल लगायी गयी है तथा अलाव जलवाये गये है।	गर्मी से बचाव हेतु छाया तथा पेयजल की व्यवस्था है।

खण्ड विकास अधिकारी
जालौन

प्रश्नक

कार्यक्रम अधिकारी /
खण्ड विकास अधिकारी
महेवा (जालौन)।

94

सेवा में

मुख्य पशु चिकित्साधिकारी
जालौन स्थान उरई।

पत्रांक
महोदय।

1595

/ लेखा / गौवंश / 2022-23

दिनांक- 25 फरवरी, 2023

कृपया आप अपने कार्यालय पत्रांक 2724 / गौ आश्रय स्थल / एन0जी0टी0 / 2022-23 दिनांक 2

02 2023 के अनुपालन में चाही गयी सूचना निम्नवत्त है-

क्र0सं0	विकास खण्ड / नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत का नाम	गौ आश्रय स्थलों की सं0	संरक्षित गौवंश की सं0	नैपियर घास का क्षेत्रफल (एकड़ में)	बरसीम का क्षेत्रफल क्षेत्रफल (एकड़ में)	सर्दी से बचाव की क्या व्यवस्था की गयी थी जैसे शोडों को तिरपालों से कवर करना तथा अलाव की व्यवस्था आदि	गर्मी से बचाव की क्या व्यवस्था की गयी है जैसे छाया एवं पेयजल आदि
	वि0रख0 महेवा	51	3831	23 बीघा	30 बीघा	शोड बने हैं तथा शोड के चरों और तिरपाल एव ठंड से बचाव हेतु अलाव लगाये गये।	गर्मी से बचाव हेतु शोड के चारों ओर टाट फट्टी एव गौवंश के पेयजल हेतु पानी की नाद तैयार की गयी है।

भवदीय

कार्यक्रम अधिकारी /
खण्ड विकास अधिकारी
महेवा (जालौन)

पृष्ठांकन पत्र सं0

दिनांक तद्

प्रतिलिपि-

निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. जिला विकास अधिकारी महोदय, जालौन स्थान उरई।

2. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, जालौन स्थान उरई की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

कार्यक्रम अधिकारी /
खण्ड विकास अधिकारी
महेवा (जालौन)

नेपियर घास/बरसीम का विवरण

विकास खण्ड-सम्भर					दिनांक-25.02.2023	
क्र. सं.	श्री अशोक बहादुर की भूमि	संश्लिष्ट क्षेत्रों की संख्या	नेपियर घास का क्षेत्रफल एकड़ में	बरसीम क्षेत्रफल एकड़ में	श्री अशोक बहादुर की भूमि की क्षेत्र सं. के विवरण से कटान करमा अथवा की जाइयेगा करना	श्री अशोक बहादुर की भूमि की क्षेत्र सं. के विवरण से कटान करमा अथवा की जाइयेगा करना
1	2	3	4	5	6	7
1	20	2046	4.8	4.8	श्री अशोक बहादुर की भूमि की सं. के विवरण से कटान करमा अथवा की जाइयेगा करना	श्री अशोक बहादुर की भूमि की सं. के विवरण से कटान करमा अथवा की जाइयेगा करना

मुख्य विकास अधिकारी
सम्भर जिल्ला

गौ आश्रय स्थलों की प्रारूप पर सूचना का विवरण, विकास खण्ड कदौरा (जालौन)

क्र०सं 0	विकास खण्ड/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत का नाम	गौ-आश्रय स्थलों की सं०	संरक्षित गौवंश की सं०	नैपियर घास का क्षेत्रफल एकड़ में	वरसीम का क्षेत्रफल एकड़ में	सर्दी से बचाव की क्या व्यवस्था की गई थी, जैसे शैडो को तिरपालों से कवर करना तथा अलाव की व्यवस्था आदि	गर्मी से बचाव की क्या व्यवस्था की गई है, जैसे छाया एवं पेयजल आदि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	कदौरा	47	5513	19.059	36.000	त्रिपाल/अलाव की व्यवस्था की गई	टीन शैड/त्रिपाल/पेयजल की व्यवस्था

A
 ✓खण्ड विकास अधिकारी
 कदौरा (जालौन)

विकास खण्ड के अन्तर्गत संचालित अस्थाई गौवंश आश्रय स्थलों में गौवंशों हेतु नेपियर घास एवं हरे चारे की सूचना
विकास खण्ड कुठौन्द(जालौन) दिनांक 25.02.2023

प्रारूप

क्र.सं.	विकास खण्ड/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत का नाम	गौ आश्रय स्थल की संख्या	संरक्षित गौवंश की संख्या	नेपियर घास का क्षेत्रफल (एकड़ में)	बरसीम का क्षेत्रफल (एकड़ में)	सर्दी से बचाव की क्या व्यवस्था की गयी थी जैसे शीटों को तिरपालों से कवर करना तथा आलाव की व्यवस्था	गर्मी से बचाव की क्या व्यवस्था की गयी है जैसे छाया एवं पेयजल आदि
1	कुठौन्द	33	2054	19.5	8.2	समस्त गौवंश आश्रय स्थलों में सर्दी से बचाव हेतु शीटों में तिरपाल लगायी गयी है, तथा आलाव जलवाये गये है।	गर्मी से बचाव हेतु छाया तथा पेयजल की व्यवस्था की गयी है।


खण्ड विकास अधिकारी
कुठौन्द(जालौन)

विकास खण्ड के अन्तर्गत संचालित अस्थाई गौआश्रय स्थलों में संरक्षित गौवंशों हेतु नेपियर घास एवं हरा चारा बुवाई का विवरण
विकास खण्ड माधौगढ दिनांक 25.02.2023

विकास खण्ड /नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत का नाम	गौआश्रय स्थलों की संख्या	संरक्षित गौवंश की संख्या	नेपियर घास का क्षेत्रफल(एकड में)	बरसीम का क्षेत्रफल(एकड में)	सर्दी से बचाव की क्या व्यवस्था की गयी थी, जैसे शैडों को तिरपालों से कवर करना तथा अलाव की व्यवस्था आदि	गर्मी से बचाव की क्या व्यवस्था की गयी है जैसे छाया एवं पेयजल आदि
1	2	3	4	5	6	7
माधौगढ	20	3198	6.38 एकड	8.4 एकड	समस्त गौवंश आश्रय स्थलों में सर्दी से बचाव हेतु शैडों में तिरपाल लगायी गयी है तथा अलाव जलवाये गये है।	गर्मी से बचाव हेतु छाया तथा पेयजल की व्यवस्था है।

खण्ड विकास अधिकारी
माधौगढ(जालौन)



Service Proof
576

99

berendra negi <berendranegi51@gmail.com>

Additional Affidavit in OA/394/2022 Cause Titled Pushpendra Kumar -Vs.- Block Development Officer Kaduara & Ors.

1 message

berendra negi <berendranegi51@gmail.com>

Tue, Mar 14, 2023 at 2:30 PM

To: advranjan.raai@gmail.com

With Regards,

Berendra Singh Negi,
P.A. to:-
Mr. Shwetank Sailakwal
AOR, Supreme Court
Mob:- 9990803222
Email:- shwetanksailakwal@gmail.com

Office at:-
B-3, 3rd Floor,
Opp. Kashmiri Park,
Jangpura Ext.
N.D.-14
Mob No. 9870423671

 **Additional Affidavit.pdf**
20210K

Ms. Ranjan Kumar Rai
Adv. for the Petitioner.